

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-1
(प्रस्तर 1.1 में संदर्भित)
विभागों और सम्बंधित सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य इकाइयों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	विभागों का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)	अन्य इकाइयों के नाम (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि)	पीएसयूज/अन्य इकाइयों का योग
1	2	3	4	5=3+4
1	ऊर्जा विभाग	1. उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड 2. दक्षिणंचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक) 3. कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक) 4. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक) 5. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक) 6. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक) 7. उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड 8. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड 9. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 10. जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीएनएल की सहायक) 11. यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड 12. यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक) 13. साउदर्न यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	1. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	14
2	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	-	1. उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण	1
3	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	1. अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड 2. अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड 3. कानपुर कम्पोजेन्ट्स लिमिटेड 4. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर इंडिया लिमिटेड 5. श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड	-	7

क्रम संख्या	विभागों का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)	अन्य इकाइयों के नाम (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि)	पीएसयूज/अन्य इकाइयों का योग
1	2	3	4	5=3+4
4	अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग	6. अपट्रॉन पॉवरट्रानिक्स लिमिटेड 7. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड 1. द प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ यू.पी. लिमिटेड 2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 3. नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन 4. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कम्पनी लिमिटेड 5. डीएमआईसी (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर) एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड 6. उत्तर प्रदेश सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 7. उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 8. विन्ध्याचल अब्रेसिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) 9. आटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड 10. कान्तीनॅटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) 11. दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रेजिन कम्पनी लिमिटेड 12. उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) 13. उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) 14. अल्मोड़ा बैग्नेसाइट लिमिटेड	1. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 3. लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 4. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण 5. नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 6. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 7. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 8. सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 9. राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज 10. राजकीय मुद्रणालय, रामपुर 11. राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी 12. राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ	26
5	लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग	1. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड 2. उत्तर प्रदेश एम्बेस्टॉस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) 3. उत्तर प्रदेश प्लांट प्रोटेक्शन एप्लायन्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक) 4. उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	7

क्रम संख्या	विभागों का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)	अन्य इकाइयों के नाम (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि)	पीएसयूज/अन्य इकाइयों का योग
1	2	3	4	5=3+4
		5. उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड		
		6. उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद, लखनऊ		
		7. उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)		
6	परिवहन विभाग	1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	-	1
7	हैण्डलूम और वस्त्र उद्योग विभाग	1. उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	-	
		2. उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्स्टाईल कार्पोरेशन लिमिटेड		
		3. भदोही वूलेन्स कम्पनी लिमिटेड		5
		4. उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड		
		5. उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड		
8	खादी और ग्रामोद्योग विभाग	-	1. उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	1
9	पर्यटन विभाग	1. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-	1
10	नगर विमानन विभाग	-	-	-
11	भूतत्व और खनिकर्म विभाग	-	-	-
12	संस्कृति विभाग	1. उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	-	1
13	धर्मार्थ कार्य विभाग	-	-	-
14	लोक निर्माण विभाग	1. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	-	2
		2. उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड		
15	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	
			2. क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	3
16	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद	2
			2. रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर	
योग				71

परिशिष्ट-2.1

(प्रस्तर 2.1.1 में संदर्भित)

सिग्नेचर बिल्डिंग के निर्माण के लिए निर्धारित प्रणाली/प्रक्रिया को दर्शाने वाला विवरण

सिग्नेचर बिल्डिंग के निर्माण हेतु जीओयूपी के आदेश दिनांक 11 जून 2013 द्वारा निर्धारित प्रणाली/प्रक्रिया के अनुसार:

- (i) कार्य कार्यकारी एजेंसियों यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड या उत्तर प्रदेश जल निगम के निर्माण एवं डिजाइन सेवा विंग के माध्यम से किये जाने थे;
- (ii) परियोजना लागत के एक प्रतिशत¹ की दर से परामर्श शुल्क चयनित कार्यकारी एजेंसी को उसकी सेवाओं हेतु जैसे प्राक्कलन तैयार करना, निविदाएं आमंत्रित करना, कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण करना आदि, देय था;
- (iii) निर्माण कार्य खुली निविदाओं के आधार पर चयनित प्रतिष्ठित निर्माण एजेंसियों/निजी बिल्डरों द्वारा किया जाना था;
- (iv) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति की संस्तुति पर, जीओयूपी द्वारा आर्किटेक्ट का चयन कार्यकारी एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध फर्मों में से या खुली निविदाओं के माध्यम से गुणवत्ता आधारित चयन (क्यूबीएस) प्रणाली को अपनाकर किया जाना था;
- (v) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति की संस्तुति पर सम्बंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण, समवर्ती निरीक्षण एवं भुगतान की संस्तुति के लिए एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सलाहकार का चयन किया जाना था; तथा
- (vi) आर्किटेक्ट और तृतीय-पक्ष सलाहकार को उनकी सेवाओं हेतु परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत (सेवा कर सहित)² की दर से शुल्क देय था।

¹ शासनादेश दिनांक 11 जून 2013 द्वारा कार्यकारी एजेंसी को सलाहकार शुल्क के भुगतान हेतु परियोजना लागत का एक प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

² शासनादेश दिनांक 11 जून 2013 द्वारा आर्किटेक्ट एवं तृतीय-पक्ष सलाहकार को शुल्क भुगतान हेतु परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया था।

परिशिष्ट-2.2
(प्रस्तर 2.1.3 में संदर्भित)
कार्य की प्राक्कलित लागत के मुख्य घटकों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राक्कलित लागत		
	सिविल	विद्युत	योग
सिविल, आंतरिक एवं फिनिशेज	405.34		405.34
प्लम्बिंग निम्न पक्ष, उच्च पक्ष और बाह्य कार्य	34.06		34.06
विद्युत निम्न पक्ष एवं उच्च पक्ष		156.73	156.73
एचवीएसी कार्य एवं आईबीएमएस		54.25	54.25
अग्निशमन कार्य		14.98	14.98
लिफ्ट कार्य		17.50	17.50
रसोई कार्य		1.25	1.25
लाण्ड्री कार्य		1.65	1.65
लैंडस्केप, सिंचाई एवं बाह्य विकास कार्य	22.11		22.11
बिल्डिंग साइनेज कार्य	1.00		1.00
आर्ट-वर्क एवं फिश टैंक	13.64		13.64
चिकित्सा कार्य		75.83	75.83
कार्य की कुल लागत	476.15	322.19	798.34
घटाया: विद्युत संयोजन की लागत		1.50	1.50
निविदा में रखे गये कार्यों की लागत	476.15	320.69	796.84
आकस्मिक व्यय			15.97
श्रम उपकर			8.14
बाह्य विद्युतीकरण की लागत			1.50
आर्किटेक्ट शुल्क			12.21
गुणवत्ता नियंत्रण सलाहकार शुल्क			12.22
सेंटेज शुल्क			7.63
कुल लागत			854.51

परिशिष्ट-2.3

(प्रस्तर 2.1.3 में संदर्भित)

प्रकरण जहां विभिन्न मदों के लिए उच्च दरों को अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप प्राक्कलित लागत में वृद्धि हुयी, को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	प्राक्कलित लागत में वृद्धि
1.	<p>लाईट फिक्सचर</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 38.20 करोड़ की लागत से आंतरिक और बाह्य लाईट फिक्सचर की 15 मदों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। विस्तृत प्राक्कलन में उपरोक्त मदों की दरें बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थीं जिनका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ संलग्न बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी के लिए उक्त मदों की अभिप्राप्ति लागत ₹ 18.40 करोड़ थी। परिवहन की लागत (1 प्रतिशत) और ठेकेदार का लाभ और उपरिव्यय (सीपीओएच 10 प्रतिशत की दर से) को सम्मिलित करने के पश्चात भी, उक्त मदों की बाजार दरों के आधार पर वास्तविक लागत ₹ 20.43 करोड़ ही थी।</p> <p>इस प्रकार, आन्तरिक एवं बाह्य लाईट फिक्सचर की प्राक्कलित लागत को अनुचित रूप से ₹ 17.77 करोड़ (87 प्रतिशत) बढ़ाया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त दरें आर्किटेक्ट द्वारा एकल कोटेशन के आधार पर उपलब्ध करायी गयी थीं। इसके अतिरिक्त, यूपीआरएनएन ने भी संवीक्षा के दौरान आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दरों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि प्राक्कलन तैयार करने के समय बाजार में एलईडी लाईटें नयी पेश की गयी थीं और जैसा कि नयी तकनीक के प्रकरण में होता है, जब मदें आम स्वीकृति प्राप्त करते हैं तो दरों में भारी कमी आती है। इसलिए, जब ठेकेदार द्वारा वास्तविक क्रय (प्राक्कलन बनाने से लगभग तीन वर्ष) किया गया, तो दरें कम हो गयी थीं।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीआरएनएन ने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दरों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया। उपरोक्त के अभाव में, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दरों का औचित्य असत्यापित रहा। अग्रेतर, एक सामान्य बयान देने के अलावा कि नयी तकनीक के कारण दरें अधिक थीं जो बाद में कम हो गईं, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दरों को सही ठहराने के लिए कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।</p>	17.77
2.	<p>हॉरिजन्टल बेड हेड पैनल</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 2 लाख प्रति पैनल की दर से हॉरिजन्टल बेड हेड पैनल के 531 सेटों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। विस्तृत प्राक्कलन में उक्त मद के लिए दरें बाजार दर के विश्लेषण पर आधारित थी जिसका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ संलग्न बीजकों से देखा कि इसने उक्त मद की अभिप्राप्ति शिपमेंट लागत सहित € 362.61 प्रति पैनल की लागत पर की थी। क्रय मूल्य को रुपये में बदलने और सीमा शुल्क (₹ 8,512 प्रति पैनल) और सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात, वास्तविक बाजार मूल्य केवल ₹ 40,415 प्रति पैनल था।</p> <p>इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दर बाजार दरों पर आधारित लागत से ₹ 1.60 लाख (395 प्रतिशत) प्रति पैनल अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप विस्तृत प्राक्कलन ₹ 8.47 करोड़ से बढ़ गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त दर आर्किटेक्ट द्वारा एकल कोटेशन के आधार पर प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूपीआरएनएन ने भी आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दर की सत्यता को सत्यापित नहीं किया।</p>	8.47

क्रम संख्या	विवरण	प्राक्कलित लागत में वृद्धि
	<p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा ने दस्तावेजों की जाँच करते समय सम्भवतः विस्तृत विवरण को देखे बिना, कि जिसमें बेड हेड पैनल ऑक्सीजन आउटलेट, सक्शन आउटलेट, ठेकेदार का लाभ, दोष देयता, टीडीएस, डब्ल्यूसीटी आदि जैसी वस्तुओं के बाद ही पूर्ण माना जाता है, केवल खुली दरों को ध्यान में रखा।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में करें सहित मूल दर के अतिरिक्त 10 प्रतिशत ठेकेदार का लाभ और उपरिव्यय (सीपीओएच) शामिल किया गया है जो उपरोक्त मदों के प्राक्कलित लागत पर पहुँचने के लिए आर्किटेक्ट/यूपीआरएनएन द्वारा किये गए दर विश्लेषण के अनुरूप था।</p>	
3.	<p>टेलीविजन सेट</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1.20 लाख प्रति टीवी की दर से 42" के 800 एलईडी टीवी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। विस्तृत प्राक्कलन में उक्त मद के लिये दर बाजार दर के विश्लेषण पर आधारित थी जिसका निर्धारण आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था। निविदा दस्तावेजों के अनुसार टेलीविजन सेट की आपूर्ति के लिए अनुमोदित ब्रांड/निर्माता पैनासोनिक, सोनी, सैमसंग और एलजी थे। तदनुसार, निर्माण एजेंसी ने एलजी ब्रांड के टेलीविजन सेटों की आपूर्ति की।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ संलग्न बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी ने टीवी को ₹ 47,360 प्रति सेट की दर से अभिप्राप्त किया था। सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी, वास्तविक बाजार मूल्य केवल ₹ 52,096 प्रति टीवी थी।</p> <p>इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दर बाजार दरों के आधार पर आधारित लागत से ₹ 0.68 लाख (130 प्रतिशत) अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप विस्तृत प्राक्कलन ₹ 5.43 करोड़ से बढ़ गया।</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त दर आर्किटेक्ट द्वारा एकल कोटेशन के आधार पर प्रदान की गयी थी। इसके अतिरिक्त, यूपीआरएनएन ने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दर की सत्यता को भी सत्यापित नहीं किया।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि अनुमान लगाने के समय एलईडी टीवी को अभी बाजार में पेश किया गया था और इसलिए बाजार की लागत अधिक थी, हालाँकि, समय के साथ एलईडी टीवी की दरें बहुत तेजी से गिरी। प्राक्कलन और निविदा तैयार करते समय प्रचलित बाजार दरों को आर्किटेक्ट/यूपीआरएनएन द्वारा शामिल किया गया था।</p> <p>प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राक्कलन तैयार करते समय उच्च कीमत के सम्बंध में एक समसामयिक परियोजना अर्थात् पुलिस भवन के निर्माण, जिसके लिए मार्च 2015 में निविदाये आमंत्रित की गयी थी, में 42" एलईडी टीवी की प्राक्कलित लागत ₹ 1.20 लाख की तुलना में प्रति टीवी सेट ₹ 50,000 ली गयी थी। अतः प्रबंधन का उत्तर गलत एवं भ्रामक है।</p>	5.43
4.	<p>डीजी सेट</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 89.39 लाख प्रति डीजी सेट की दर से 1,010 केवीए के 15 डीजल जनरेटर सेट (डीजी सेट) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। विस्तृत प्राक्कलन में उक्त मद के लिए दर बाजार दर के विश्लेषण पर आधारित थी जिसका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ संलग्न बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी ने उक्त मद को ₹ 55.81 लाख प्रति सेट की दर से अभिप्राप्त किया था। परिवहन लागत (1 प्रतिशत), स्थापना (6 प्रतिशत) और सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी, वास्तविक बाजार मूल्य केवल ₹ 65.74 लाख प्रति सेट था।</p> <p>इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दर बाजार दरों के आधार पर आधारित लागत से ₹ 23.65 लाख (36 प्रतिशत) अधिक थी इसके परिणामस्वरूप विस्तृत प्राक्कलन में ₹ 3.55 करोड़ की वृद्धि हुयी।</p>	3.55

क्रम संख्या	विवरण	प्राक्कलित लागत में वृद्धि
	<p>लेखापरीक्षा ने देखा कि उक्त दर आर्किटेक्ट द्वारा एकल कोटेशन के आधार पर प्रदान की गयी थी। इसके अलावा, यूपीआरएनएन ने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दर की सत्यता को भी सत्यापित नहीं किया।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि प्राक्कलन के अनुसार दरें सीपीडब्ल्यूडी की दरों के अन्दर हैं जो जीओयूपी के ईएफसी द्वारा इस कार्य की स्वीकृति से ठीक पहले लागू हुयी थीं।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी दरें (₹ 10,000 प्रति केवीए) जैसा कि प्रबंधन ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है, प्लिंथ क्षेत्र की दरें थीं जिनका उपयोग केवल प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करने के लिए किया जाता है और नियमावली के अनुसार, विस्तृत प्राक्कलन सामग्री, श्रम, शटरिंग, उपकरण आदि के दरों के लिए बाजार सर्वेक्षण के साथ विस्तृत विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। अग्रेतर, निर्माण एजेंसी की क्रय दरों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मद की प्राक्कलित लागत में अत्यधिक वृद्धि की गयी थी।</p>	
5.	<p>लिफ्ट</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 13.43 करोड़ की लागत से लिफ्ट के 13 मदों की आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। विस्तृत प्राक्कलन में उक्त मदों की दरें बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थीं जिनका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गए बिलों के साथ संलग्न बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी के लिए उक्त मदों की अभिप्राप्ति लागत ₹ 8.25 करोड़ थी। स्थापना और चालू करने की लागत (वास्तविक लागत का 10 प्रतिशत और उस पर 12.36 प्रतिशत की दर से सेवा कर जैसा कि प्राक्कलन में आर्किटेक्ट द्वारा लिया गया है) और सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी, उक्त मदों की वास्तविक लागत की गणना ₹ 10.10 करोड़ की गयी। इस प्रकार, लिफ्टों की प्राक्कलित लागत ₹ 3.33 करोड़ (33 प्रतिशत) से अनावश्यक रूप से बढ़ा दी गयी थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त दरें आर्किटेक्ट द्वारा एकल कोटेशन के आधार पर उपलब्ध करायी गयी थीं। इसके अतिरिक्त, यूपीआरएनएन ने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दरों की सत्यता को भी सत्यापित नहीं किया।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि प्राक्कलन सरकार द्वारा नियुक्त आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया था। चूंकि लिफ्ट एकल स्वामित्व वाली वस्तु होती है इसलिए दरों का पुनः विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। साथ ही, यह एक व्यापक प्रतिशत दर अनुबंध होने के कारण प्रत्येक मद पर अलग से चर्चा करना थोड़ा कठिन लगता है।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीआरएनएन ने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दरों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप प्राक्कलन में उच्च दरों को अपनाया गया। इसके अलावा, निर्माण एजेंसी द्वारा उसी कम्पनी से प्राक्कलित मूल्य के 33 प्रतिशत कम कीमत पर लिफ्ट की खरीद, लेखापरीक्षा तर्क को मजबूत करता है कि अन्य आपूर्तिकर्ता से दरों की सत्यता की पुष्टि नहीं करने के कारण प्राक्कलन में वृद्धि हुयी।</p>	3.33
6.	<p>यूपीएस प्रणाली</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 7.96 करोड़ की लागत से ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली की छः मदों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। विस्तृत प्राक्कलन में उक्त मदों की दरें बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थीं जिनका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गए बिलों के साथ संलग्न बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी के लिए उक्त मदों की अभिप्राप्ति लागत ₹ 4.14 करोड़ थी। परिवहन लागत (1 प्रतिशत), स्थापना (3 प्रतिशत) और सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी उक्त मदों की बाजार दरों के आधार पर आधारित वास्तविक लागत केवल ₹ 4.74 करोड़</p>	3.22

क्रम संख्या	विवरण	प्राक्कलित लागत में वृद्धि
	<p>थी। इस प्रकार, यूपीएस प्रणाली की प्राक्कलित लागत ₹ 3.22 करोड़ (68 प्रतिशत) अनावश्यक रूप से बढ़ा दी गयी थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त दरें आर्किटेक्ट द्वारा एकल कोटेशन के आधार पर उपलब्ध करायी गयी थीं। इसके अतिरिक्त, यूपीआरएनएन ने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दरों की सत्यता को भी सत्यापित नहीं किया।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि प्राक्कलन के अनुसार दरें सीपीडब्ल्यूडी की दरों की तुलना में पूरी तरह से उचित हैं, जो जीओयूपी के ईएफसी द्वारा इस कार्य को स्वीकृति देने से ठीक पहले लागू हुयी थीं।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन द्वारा अपने उत्तर में उल्लिखित सीपीडब्ल्यूडी की दरें (₹ 20,000 प्रति कंवीए) प्लिंथ क्षेत्र की दरें थीं जिनका उपयोग केवल प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करने के लिए किया जाता है और मैनुअल के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन सामग्री, श्रम, शटरिंग, उपकरण आदि के दरों के लिए बाजार सर्वेक्षण के साथ विस्तृत विश्लेषण के आधार तैयार किया जाना चाहिए। अग्रेतर, निर्माण एजेंसी की क्रय दरों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मद की प्राक्कलित लागत में असामान्य रूप से वृद्धि की गयी थी।</p>	
7.	<p>सौर पीवी प्रणाली</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1.57 करोड़ प्रति सेट की दर से 100 केडब्ल्यूपी स्टैंडअलोन सौर पीवी प्रणाली के दो सेटों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। विस्तृत प्राक्कलन में उक्त मद के लिए दर बाजार दर के विश्लेषण पर आधारित थी जिसका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गए बिलों के साथ दिये गए बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी ने उक्त मद को ₹ 30.58 लाख प्रति सेट की दर से अभिप्राप्त किया था। परिवहन लागत (1 प्रतिशत), स्थापना (₹ 5,61,800) और सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी, वास्तविक बाजार मूल्य केवल ₹ 40.15 लाख प्रति सेट निकला था।</p> <p>इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दर बाजार दरों के आधार पर आधारित लागत से ₹ 1.17 करोड़ (291 प्रतिशत) अधिक थी, परिणामस्वरूप विस्तृत प्राक्कलन में ₹ 2.34 करोड़ की वृद्धि हुयी थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि उक्त दर आर्किटेक्ट द्वारा एकल कोटेशन के आधार पर प्रदान की गयी थी। इसके अतिरिक्त, यूपीआरएनएन ने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दर की सत्यता को भी सत्यापित नहीं किया।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि स्पष्ट रूप से लेखापरीक्षा ने केवल मद के भाग की बेअर दर को ही चुना और इसकी तुलना संपूर्ण मद से की है। अग्रेतर, सीपीडब्ल्यूडी दरों की तुलना में प्राक्कलन के अनुसार दरें पूरी तरह से उचित हैं।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन द्वारा अपने उत्तर में उल्लिखित सीपीडब्ल्यूडी दरें प्लिंथ क्षेत्र की दरें थीं जिनका उपयोग केवल प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करने के लिए किया जाता है और मैनुअल के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन सामग्री, श्रम, शटरिंग, उपकरण आदि के दरों के लिए बाजार सर्वेक्षण के साथ विस्तृत विश्लेषण के आधार तैयार किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने बीजक में दर्शाये गए संपूर्ण प्रणाली की दर पर विचार किया है। करों सहित मूल दर के अलावा, लेखापरीक्षा ने परिवहन की लागत, स्थापना और 10 प्रतिशत सीपीओएच को शामिल किया है जो उक्त मद की प्राक्कलित लागत पर पहुंचने के लिए आर्किटेक्ट/यूपीआरएनएन द्वारा किये गए दर विश्लेषण के अनुरूप था।</p>	2.34
8.	<p>लॉण्ड्री उपकरण</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1.65 करोड़ की लागत से लॉण्ड्री उपकरण के 14 मदों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। विस्तृत प्राक्कलन में उक्त मदों की दरें बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थीं जिनका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था।</p>	0.82

क्रम संख्या	विवरण	प्राक्कलित लागत में वृद्धि
	<p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गए बिलों के साथ बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी के लिए उक्त मदों की अभिप्राप्ति लागत ₹ 0.76 करोड़ थी। सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी उक्त मदों की बाजार दरों के आधार पर आधारित वास्तविक लागत ₹ 0.83 करोड़ ही थी। इस प्रकार, लॉण्ड्री उपकरण की प्राक्कलित लागत बाजार दरों के आधार पर लागत से ₹ 0.82 करोड़ (99 प्रतिशत) अधिक बढ़ा दी गयी थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त दरें आर्किटेक्ट द्वारा एकल कोटेशन के आधार पर उपलब्ध करायी गयी थीं। इसके अतिरिक्त, यूपीआरएनएन ने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दरों की सत्यता को भी सत्यापित नहीं किया।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा ने संभवतः केवल लॉण्ड्री उपकरण की सामग्री लागत को संदर्भित किया है, जबकि पूरे कार्य में अन्य घटक जैसे, नींव, केबलिंग, दोष-देयता, वृद्धि, कर और शुल्क, परिवहन, हैंडलिंग आदि शामिल हैं।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने सभी करों सहित दरों पर विचार किया जैसा कि बीजक में दर्शाया गया है। विस्तृत प्राक्कलन में कोटेशन में प्राप्त दरों को परिवहन, स्थापना और सीपीओएच की लागत को शामिल किये बिना शामिल किया गया था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने बीजक के अनुसार दरों पर 10 प्रतिशत सीपीओएच की अनुमति दी है।</p>	
9.	<p>मॉर्चरी कक्ष</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 16.56 लाख प्रति कक्ष की दर से छः मॉर्चरी कक्षों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। विस्तृत प्राक्कलन में उक्त मद के लिये दर बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थी जिसका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गए बिलों के साथ दिये गए बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी ने उक्त मद को ₹ 6.40 लाख प्रति कक्ष की दर से अभिप्राप्त किया था। सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी वास्तविक बाजार मूल्य केवल ₹ 7.04 लाख प्रति कक्ष था।</p> <p>इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दर बाजार दरों के आधार पर आधारित लागत से ₹ 9.52 लाख (135 प्रतिशत) अधिक थी, परिणामस्वरूप विस्तृत प्राक्कलन में ₹ 0.57 करोड़ की वृद्धि हुयी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि उक्त दर आर्किटेक्ट द्वारा एकल कोटेशन के आधार पर प्रदान की गयी थी। इसके अलावा, यूपीआरएनएन ने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दर की सत्यता को भी सत्यापित नहीं किया।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि विस्तृत प्राक्कलन तैयार करते समय आर्किटेक्ट ने संपूर्ण बाजार सर्वेक्षण किया और न्यूनतम दरों का पता लगाया। इसने आगे कहा कि लेखापरीक्षा ने स्थापना, परीक्षण, चालू किया जाना, साइट पर भण्डारण और हैंडलिंग आदि को ध्यान में रखे बिना केवल खुली दरों को उठाया है।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने बीजक में दर्शायी गयी दर पर विचार किया है। करों सहित मूल दर के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने 10 प्रतिशत के सीपीओएच को शामिल किया है जो उक्त मद की प्राक्कलित लागत पर पहुंचने के लिए आर्किटेक्ट/यूपीआरएनएन द्वारा किये गए दर विश्लेषण के अनुरूप था। इसके अतिरिक्त, निर्माण एजेंसी की क्रय दरों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मद की प्राक्कलित लागत में असामान्य रूप से वृद्धि की गयी थी।</p>	0.57
	योग	45.50

परिशिष्ट-2.4

(प्रस्तर 2.1.3 में संदर्भित)

प्रकरण जहां विभिन्न मदों के लिए गलत दरों को अपनाया गया जिसके परिणामस्वरूप प्राक्कलित
लागत में वृद्धि हुयी, को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	प्राक्कलित लागत में वृद्धि
1.	<p>स्टील रीइनफोर्समेंट</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 68.10 प्रति किलोग्राम की दर से थर्मो-मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) बारों द्वारा आरसीसी कार्य के लिए स्टील रीइनफोर्समेंट शामिल था जो डीएसआर 2014 पर आधारित था।</p> <p>जैसा कि डीएसआर दिल्ली में सामग्री और श्रम की बाजार दरों पर आधारित है और जहां दिल्ली की तुलना में लखनऊ में सामग्री और श्रम की दरों में भिन्नता है, उपरोक्त मद के लिए दर लखनऊ हेतु लागू सामग्री, श्रम, ढुलान व्यय आदि की दरों को लेकर तैयार की जानी चाहिए और उपरोक्त मदों को लखनऊ में प्राप्त हेतु दर ज्ञात करने के लिये इसे सीपीडब्ल्यूडी के विश्लेषण में अपनाना चाहिए था।</p> <p>लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार जो यूपीआरएनएन के दर अनुबंध के अनुसार टीएमटी बार की दर और लखनऊ में लागू यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर के अनुसार श्रम दरों के आधार पर आधारित थी, तकनीकी स्वीकृति के समय दर ₹ 54.60 प्रति किलोग्राम आंकलित की गयी थी।</p> <p>इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दर बाजार दरों के आधार पर आधारित लागत से ₹ 13.50 प्रति किलोग्राम (25 प्रतिशत) अधिक थी परिणामस्वरूप 1,42,37,488.40 किलोग्राम की प्राक्कलित मात्रा पर विस्तृत प्राक्कलन में ₹ 19.22 करोड़ की वृद्धि हुयी।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि आरसीसी कार्य में स्टील रीइनफोर्समेंट की दर डीएसआर 2014 के अनुसार ली गयी थी क्योंकि उक्त मद की दर यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर में उपलब्ध नहीं थी। इसने अग्रेतर बताया कि डीएसआर 2007 दरों पर आधारित सीपीडब्ल्यूडी लागत सूचकांक लागू करने के पश्चात लखनऊ में दरें ₹ 70.48 प्रति किलोग्राम होंगी। साथ ही, अक्टूबर 2014 की सेल की दरों और श्रम आयुक्त, कानपुर के अनुसार 01.10.2014 से प्रभावी श्रम दरों पर आधारित विश्लेषण के अनुसार दरें ₹ 70.50 प्रति किलोग्राम हैं।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा की गणना यूपीआरएनएन के दर अनुबंध के अनुसार टीएमटी बार की दर और यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर के अनुसार श्रम दरों पर आधारित है जो लखनऊ में वास्तविक बाजार दरों का प्रतिनिधित्व करती है।</p>	19.22
2.	<p>वाटरप्रूफिंग का कार्य</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में वाटरप्रूफिंग कार्य शामिल था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) मदर स्लैब पर सतह की तैयारी और (ii) पहली परत - थर्मल इन्सुलेशन शामिल था। दोनों मदों की दरें ₹ 1,400/₹ 1,330 प्रति वर्गमीटर दी गयी थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि जिस कोटेशन के आधार पर वाटरप्रूफिंग कार्य की दरों को विस्तृत प्राक्कलन में शामिल किया गया था उसमें उपरोक्त दोनों मदों के लिए संयुक्त दर के रूप में ₹ 1,400 प्रति वर्गमीटर की दर को उद्धृत किया गया था।</p> <p>इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दर कोटेशन के आधार पर आधारित लागत से ₹ 1,400/₹ 1,330 प्रति वर्गमीटर (100 प्रतिशत) अधिक थी परिणामस्वरूप 39,581.97 वर्गमीटर की प्राक्कलित मात्रा पर विस्तृत प्राक्कलन में ₹ 5.34 करोड़ की वृद्धि हुयी।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि निविदा का मूल्यांकन बोलीदाताओं द्वारा समग्र रूप से किया जाता है न कि किसी विशेष वस्तु के लिए मद दर के आधार पर। उक्त मद की दरें आर्किटेक्ट द्वारा तैयार दरों के विश्लेषण के अनुसार थी। इसने आगे बताया कि यह कोटेशन में टाइपिंग त्रुटि (सम्मिलित किये गए सेल द्वारा स्वरूपण) प्रतीत होता है।</p> <p>प्रबंधन का यह तर्क कि कोटेशन में टाइपिंग त्रुटि प्रतीत होती है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोटेशन के अनुसार सतह की तैयारी और थर्मल इन्सुलेशन की पहली परत के लिए ₹ 1,400 प्रति वर्गमीटर की समग्र दर उद्धृत की गयी थी। हालाँकि, विस्तृत प्राक्कलन में दोनों मदों के लिए</p>	5.34

क्रम संख्या	विवरण	प्राक्कलित लागत में वृद्धि
	₹ 1,400/₹ 1,330 प्रति वर्गमीटर की दर अलग-अलग प्रदान की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप विस्तृत प्राक्कलन में ₹ 5.34 करोड़ की वृद्धि हुयी। इसके अलावा, टंकण त्रुटि के अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, दोनों मदों के लिए समान दर लेने के आधार के सम्बंध में, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।	
3.	<p>ग्रेनाइट फर्श</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 3,866 प्रति वर्गमीटर की दर से 18 मिमी मोटा ग्रेनाइट फर्श का कार्य शामिल था। उपरोक्त दर डीएसआर 2014 में 0.50 वर्गमीटर तक स्लैब के क्षेत्रफल में रसोई प्लेटफार्मों, वैनिटी काउंटर्स, खिड़की की सिलों, अग्रभागों और इसी तरह के स्थानों में ग्रेनाइट कार्य के लिए प्रदान की गयी दर पर आधारित थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएसआर 2014 (₹ 3,244.35 प्रति वर्ग मीटर) में ग्रेनाइट फर्श के कार्य के लिए अलग मद उपलब्ध होने के बावजूद, 0.50 वर्गमीटर तक स्लैब का क्षेत्र तक रसोई प्लेटफार्मों, वैनिटी काउंटर्स, खिड़की की सिलों, अग्रभागों और इसी तरह के स्थानों में ग्रेनाइट कार्य के लिए दरें (₹ 3,866 प्रति वर्गमीटर) ग्रेनाइट फर्श कार्य के लिए प्रदान किया गया था।</p> <p>इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दर ₹ 621.65 प्रति वर्गमीटर (19 प्रतिशत) अधिक थी परिणामस्वरूप 66,434.42 घनमीटर की प्राक्कलित मात्रा पर विस्तृत प्राक्कलन में ₹ 4.13 करोड़ की वृद्धि हुयी।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा उद्धृत मद फ्लेम्ड ग्रेनाइट स्टोन फ्लोरिंग प्रदान करने और बिछाने से सम्बंधित है जबकि परियोजना में पॉलिश किये गए ग्रेनाइट स्टोन का उपयोग किया जाना था।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राक्कलन में अपनायी गयी ₹ 3,866 प्रति वर्गमीटर की दर रसोई प्लेटफार्मों, वैनिटी काउंटर्स, खिड़की की सिलों, अग्रभागों और इसी तरह के स्थानों में ग्रेनाइट के कार्य से सम्बंधित है न कि ग्रेनाइट फर्श के कार्य के लिये। अग्रेतर, जहां तक फ्लेम्ड ग्रेनाइट स्टोन के स्थान पर पॉलिश किये गए ग्रेनाइट स्टोन के प्राक्कलन का सम्बंध है, यह उल्लेखनीय है कि फ्लेम्ड ग्रेनाइट स्टोन (₹ 2,000 प्रति वर्गमीटर) की मूल दर डीएसआर 2014 में पॉलिश किये गए ग्रेनाइट स्टोन (₹ 1,900 प्रति वर्गमीटर) की तुलना में अधिक थी।</p>	4.13
4.	<p>वॉल लाइनिंग में ग्रेनाइट का कार्य</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 3,907.40 प्रति वर्गमीटर की दर से वॉल लाइनिंग में 18 मिमी ग्रेनाइट का कार्य शामिल था। उपरोक्त दर डीएसआर 2014 में रसोई प्लेटफार्मों, वैनिटी काउंटर्स, खिड़की की सिलों, अग्रभागों और इसी तरह के स्थानों 0.50 वर्गमीटर से ऊपर स्लैब के क्षेत्र में ग्रेनाइट कार्य के लिए प्रदान की गयी दर पर आधारित थी।</p> <p>चूंकि डीएसआर 2014 में वॉल लाइनिंग में ग्रेनाइट कार्य के लिए समान मद (वॉल लाइनिंग में 8 मिमी ग्रेनाइट का कार्य) उपलब्ध था, उक्त मद की दर डीएसआर 2014 में उपलब्ध समान मद की दरों के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि वॉल लाइनिंग में ग्रेनाइट कार्य के लिए समान मद उपलब्ध होने के बावजूद, रसोई प्लेटफार्मों, वैनिटी काउंटर्स, खिड़की की सिलों, अग्रभागों और इसी तरह के स्थानों में ग्रेनाइट कार्य के लिए डीएसआर 2014 में प्रदान की गयी दर—0.50 वर्गमीटर से ऊपर स्लैब का क्षेत्र, (₹ 3,907.40 प्रति वर्गमीटर) डीएसआर 2014 में उपलब्ध समान मद की दरों के विश्लेषण के आधार पर लागत निकालने के बजाय वॉल लाइनिंग में ग्रेनाइट कार्य के लिए प्रदान किया गया था। डीएसआर 2014 में उपलब्ध समान मद की दरों के विश्लेषण के आधार पर लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार, उपरोक्त मद की दर ₹ 3,469.55 प्रति वर्गमीटर है।</p> <p>इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दर ₹ 437.85 प्रति वर्गमीटर (13 प्रतिशत) अधिक थी परिणामस्वरूप 25,342.01 घनमीटर की प्राक्कलित मात्रा पर विस्तृत प्राक्कलन में ₹ 1.11 करोड़ की वृद्धि हुयी।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि 18 मिमी मोटे ग्रेनाइट स्टोन लाइनिंग कार्य की दरें डीएसआर मद सं. 8.9.1.2, जो 8 मिमी मोटी ग्रेनाइट वॉल लाइनिंग के लिए है, के आधार पर आनुपातिक रूप से नहीं निकाला जा सकता है।</p>	1.11

क्रम संख्या	विवरण	प्राक्कलित लागत में वृद्धि
	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने आनुपातिक आधार पर वॉल लाइनिंग में 18 मिमी मोटे ग्रेनाइट कार्य की दर की गणना नहीं की है। इसके अतिरिक्त, दर विश्लेषण में डीएसआर 2014 के अनुसार 18 मिमी मोटे ग्रेनाइट के साथ 8 मिमी ग्रेनाइट पत्थर की लागत को बदलकर दीवार की वॉल लाइनिंग में 18 मिमी मोटे ग्रेनाइट कार्य की दर की गणना की गयी है।	
5.	<p>आटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक मेसनरी</p> <p>विस्तृत प्राक्कलन में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 4,231.47 प्रति घन मीटर की दर से आटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (एएसी) ब्लॉक मेसनरी उपलब्ध कराना और बिछाना शामिल था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि विस्तृत प्राक्कलन में उक्त मद की लागत निकालने के लिए दो फर्मों से कोटेशन प्राप्त किये गए थे। विस्तृत प्राक्कलन में हालाँकि, ₹ 3,983.68 प्रति घनमीटर की निम्न दर को अपनाने के स्थान पर ₹ 4,231.47 प्रति घनमीटर की उच्च दर को अपनाया गया।</p> <p>इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दर ₹ 247.79 प्रति घन मीटर (छः प्रतिशत) अधिक थी परिणामस्वरूप 24,620.27 घनमीटर की प्राक्कलित मात्रा पर विस्तृत प्राक्कलन में ₹ 0.61 करोड़ की वृद्धि हुयी।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि न्यूनतम कोटेशन के अनुसार दरों में 10 प्रतिशत ठेकेदार के लाभ को जोड़ने के बाद दरें ₹ 4,382 प्रति घन मीटर आती हैं। अतः ₹ 4,231.47 प्रति घनमीटर की निविदा दर पूर्णतया उचित है।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने प्राक्कलन तैयार करने में न्यून कोटेशन के अनुसार ₹ 3,983.68 प्रति घनमीटर की दर को अपनाने के बजाय उच्च कोटेशन के अनुसार ₹ 4,231.47 प्रति घनमीटर की दर अपनाने का कोई कारण नहीं बताया परिणामस्वरूप परियोजना की प्राक्कलित लागत में अनुचित वृद्धि हुयी। अग्रेतर, आर्किटेक्ट ने ठेकेदार के लाभ को 10 प्रतिशत जोड़े बिना उच्च कोटेशन के अनुसार दर को अपनाया था जो दर्शाता है कि कोटेशन में उल्लिखित दरों में ठेकेदार का लाभ शामिल था।</p>	0.61
योग		30.41

परिशिष्ट-2.5

(प्रस्तर 2.1.3 में संदर्भित)

निर्माण एजेंसी को बढ़ी हुयी दरों के भुगतान के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय के दृष्टान्तों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	अतिरिक्त व्यय
1.	<p>लाईट फिक्सचर</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 38.20 करोड़ की लागत से आंतरिक और बाह्य लाईट फिक्सचर की 15 मदों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। उपरोक्त मदों की दरें बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थी जिनका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था। नवम्बर 2020 तक आपूर्ति की गयी वास्तविक मात्रा के विरुद्ध निर्माण एजेंसी को ₹ 37.33 करोड़ की धनराशि देय/का भुगतान किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ बीजकों के आधार पर, देखा कि, निर्माण एजेंसी के लिए उक्त मदों की अभिप्राप्ति लागत ₹ 17.40 करोड़ आंकी गयी थी। परिवहन लागत (1 प्रतिशत) और ठेकेदार का लाभ और ओवरहेड्स (सीपीओएच 10 प्रतिशत की दर से) को शामिल करने के पश्चात भी, उक्त मदों की लागत केवल ₹ 19.32 करोड़ होगी। इस प्रकार, निर्माण एजेंसी को किया गया भुगतान उक्त मदों की उचित लागत का लगभग 1.93 गुना था। निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक परियोजना पर अतिरिक्त व्यय ₹ 18.01 करोड़ है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि प्राक्कलन तैयार करने के समय बाजार में नई एलईडी लाइटें पेश की गयी थी और जैसा कि नई तकनीक के मामले में होता है, जब मद सामान्य स्वीकृति प्राप्त करते हैं तो दरों में भारी कमी आती है। इसलिए, जब ठेकेदार द्वारा वास्तविक खरीद (प्राक्कलन बनाने से लगभग तीन वर्ष) की गयी थी, तो दरें कम हो गयी थीं।</p> <p>तथ्य यह है कि इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद भी कि वास्तविक कीमत में भारी कमी हुयी थी, प्रबंधन ने बॉट आउट मदों के लिये की गयी अधिक भुगतान की वसूली का प्रस्ताव नहीं रखा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीआरएनएन ने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दरों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया। उपरोक्त के अभाव में, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दरों की तर्कसंगतता असत्यापित रही। अग्रेतर, एक सामान्य विवरण देने के अलावा कि नई तकनीक के कारण दरें अधिक थीं, जो बाद में घट गयी, विस्तृत प्राक्कलन में अपनायी गयी दरों को सही ठहराने के लिये कोई साक्ष्य, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।</p>	18.01
2.	<p>स्टील रीइनफोर्समेंट</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 68.10 प्रति किलोग्राम की दर से थर्मो-मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) बारों द्वारा आरसीसी कार्य के लिए स्टील रीइनफोर्समेंट शामिल था। निविदा में डाली गयी बिल ऑफ क्वांटिटी में अपनायी गयी उक्त मद के लिए ₹ 68.10 प्रति किलोग्राम की दर डीएसआर 2014 पर आधारित थी।</p> <p>चूँकि डीएसआर, दिल्ली में सामग्री और श्रम की बाजार दरों पर आधारित है और जहां दिल्ली की तुलना में लखनऊ में सामग्री और श्रम की दरों में भिन्नता है, उपरोक्त मद की दर लखनऊ के सामग्री, श्रम, ढुलान व्यय आदि की दरों को लेकर निकाला जाना चाहिए था और उपरोक्त मद की दर का विश्लेषण को लखनऊ में लागत पर पहुंचने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) में अपनायी जानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार, लखनऊ में लागू यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर के अनुसार टीएमटी बारों की बाजार दर और श्रम दरों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति के समय, दर ₹ 54.60 प्रति किलोग्राम निकला।</p> <p>नवम्बर 2020 तक निर्माण एजेंसी द्वारा निष्पादित 1,19,39,295.06 किलोग्राम की वास्तविक मात्रा के आधार पर, निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक गलत दरों को अपनाने के कारण, परियोजना पर अतिरिक्त व्यय, ₹ 16.12 करोड़ [1,19,39,295.06 किग्रा x (₹ 68.10 - ₹ 54.60)] है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि आरसीसी कार्य में स्टील रीइनफोर्समेंट की दर डीएसआर 2014 के अनुसार ली गयी थी क्योंकि उक्त मद की दर</p>	16.12

क्रम संख्या	विवरण	अतिरिक्त व्यय
	<p>यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर में उपलब्ध नहीं थी। इसने आगे बताया कि डीएसआर 2007 दरों के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी लागत सूचकांक लागू करने के बाद, लखनऊ में दरें ₹ 70.48 प्रति किलोग्राम होगी। साथ ही, अक्टूबर 2014 की सेल की दरों के अनुसार और श्रम आयुक्त, कानपुर 01.10.2014 से श्रम दरों के आधार पर विश्लेषण के अनुसार दरें ₹ 70.50 प्रति किलोग्राम हैं।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा की गणना यूपीआरएनएन के दर अनुबंध के अनुसार टीएमटी बार की दर और यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर के अनुसार श्रम दरों पर आधारित है जो लखनऊ में वास्तविक बाजार दरों का प्रतिनिधित्व करती है।</p>	
3.	<p>हॉरिजन्टल बेड हेड पैनल</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 2 लाख प्रति सेट (कुल लागत 531 सेट – ₹ 10.62 करोड़) 'वार्ड के लिये हॉरिजन्टल बेड हेड पैनल्स' के 531 सेटों की आपूर्ति शामिल थी। उक्त मद की दर बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थी जिसका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था। निर्माण एजेंसी ने नवम्बर 2020 तक सभी 531 सेटों की आपूर्ति की थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी ने शिपमेंट लागत सहित € 362.61 प्रति सेट पर उपरोक्त वस्तु की अभिप्राप्त किया था। भारतीय रुपये में क्रय मूल्य को परिवर्तित करने के बाद और सीमा शुल्क (₹ 8,512 प्रति पैनल) और सीपीओएच (10 प्रतिशत) सहित, उक्त मद की लागत केवल ₹ 40,415 प्रति सेट (कुल 531 सेट की लागत – ₹ 2.15 करोड़) होगी। इस प्रकार, निर्माण एजेंसी को किया गया भुगतान उक्त मद की तर्कसंगत लागत का लगभग 4.95 गुना था।</p> <p>निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक परियोजना पर किया गया अतिरिक्त व्यय ₹ 8.47 करोड़ है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा ने दस्तावेजों की जाँच करते समय सम्भवतः बिना विवरण में जाए, कि बेड हेड पैनल ऑक्सीजन आउटलेट, सेंक्शन आउटलेट, ठेकेदार का लाभ, दोष देयता, टीडीएस, डब्ल्यूसीटी आदि जैसी वस्तुओं के बाद ही पूरा होता है, केवल खुली दरों को ध्यान में रखा।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने करों सहित मूल दर के अतिरिक्त 10 प्रतिशत ठेकेदार का लाभ और उपरिव्यय (सीपीओएच) शामिल किया है जो उपरोक्त वस्तु की प्राक्कलित लागत पर पहुंचने के लिए आर्किटेक्ट/यूपीआरएनएन द्वारा किये गए दर विश्लेषण के अनुरूप था।</p>	8.47
4.	<p>वाटरप्रूफिंग का कार्य</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में वाटरप्रूफिंग कार्य शामिल था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) मंदर स्लैब पर सतह की तैयारी और (ii) पहली परत – थर्मल इन्सुलेशन शामिल था। दोनों मदों की दरें ₹ 1,400/₹ 1,330 प्रति वर्गमीटर दी गयी थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि कोटेशन में, जिसके आधार पर वाटरप्रूफिंग कार्य की दरों को विस्तृत प्राक्कलन में शामिल किया गया था, दोनों मदों के लिये एक संयुक्त दर के रूप में ₹ 1,400 प्रति वर्गमीटर की दर उद्धृत की गयी थी। विस्तृत प्राक्कलन में और फलस्वरूप निविदा में डाले गए बिल ऑफ क्वांटिटी में, हालाँकि, दोनों मदों के लिए अलग-अलग ₹ 1,400/₹ 1,330 प्रति वर्गमीटर की दर प्रदान की गयी थी।</p> <p>नवम्बर 2020 तक निर्माण एजेंसी द्वारा निष्पादित 27,741.36 वर्गमीटर की वास्तविक मात्रा के आधार पर, निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक गलत दरों को अपनाने के कारण, परियोजना पर अतिरिक्त व्यय ₹ 3.78 करोड़ $[(13,165.30 \text{ वर्गमीटर} \times ₹ 1,400) + (14,576.06 \text{ वर्गमीटर} \times ₹ 1,330)]$ बनता है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि निविदा का मूल्यांकन समग्र रूप से बोलीदाताओं द्वारा किया जाता है न कि किसी विशेष वस्तु के लिए मद दर के आधार पर। उक्त मद की दरें आर्किटेक्ट द्वारा तैयार दरों के विश्लेषण के अनुसार थी। इसने आगे कहा कि यह उद्धरण में टाइपिंग त्रुटि (सम्मिलित किये गए सेल द्वारा स्वरूपण) प्रतीत होता है।</p>	3.78

क्रम संख्या	विवरण	अतिरिक्त व्यय
	<p>प्रबंधन का यह तर्क कि कोटेशन में टाइपिंग त्रुटि प्रतीत होना, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोटेशन के अनुसार सतह की तैयारी और थर्मल इन्सुलेशन की पहली परत के लिए ₹ 1,400 प्रति वर्गमीटर की समग्र दर उद्धृत की गयी थी। तथापि, विस्तृत प्राक्कलन में दोनों मदों के लिए ₹ 1,400/₹ 1,330 प्रति वर्गमीटर की दर अलग-अलग प्रदान की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप विस्तृत प्राक्कलन ₹ 5.34 करोड़ की वृद्धि हुयी। इसके अलावा, टंकण त्रुटि के अपने तर्क का समर्थन करने के लिए, दोनों मदों के लिये समान दर लेने के आधार के सम्बंध में, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।</p>	
5.	<p>डीजी सेट</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 89.39 लाख प्रति सेट की दर से स्टैंडबाय विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयुक्त 1,010 कैंवीए के 15 डीजल जनरेटर (डीजी सेट) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना (कुल लागत 15 डीजी सेट – ₹ 13.41 करोड़) शामिल था। उक्त मद की दर बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थी जिसका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था। निर्माण एजेंसी ने नवम्बर 2020 तक सभी 15 डीजी सेटों की आपूर्ति की थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी ने उपरोक्त मद को ₹ 55.81 लाख प्रति डीजी सेट पर अभिप्राप्त किया था। परिवहन लागत (1 प्रतिशत), स्थापना (6 प्रतिशत) और सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के बाद भी, मद की लागत प्रति सेट केवल ₹ 65.74 लाख होगी। इस प्रकार, निर्माण एजेंसी को किया गया भुगतान उक्त मद की तर्कसंगत लागत का लगभग 1.36 गुना था।</p> <p>निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक परियोजना पर किया गया अतिरिक्त व्यय ₹ 3.55 करोड़ बनता है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि प्राक्कलन के अनुसार दरें सीपीडब्ल्यूडी दरों के अन्दर हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के ईएफसी द्वारा इस कार्य की मंजूरी से ठीक पहले लागू हुयी थी।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन द्वारा अपने उत्तर में उल्लिखित सीपीडब्ल्यूडी दरें (₹ 10,000 प्रति कैंवीए) प्लिंथ क्षेत्र की दरें थीं जिनका उपयोग केवल प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करने के लिए किया जाना था और नियमावली के अनुसार, सामग्री, श्रम, शटरिंग, उपकरण आदि की दरों के विस्तृत विश्लेषण के साथ दरों के लिए बाजार सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निर्माण एजेंसी की क्रय दरों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मद की प्राक्कलित लागत में अत्यधिक वृद्धि की गयी थी।</p>	3.55
6.	<p>ग्रेनाइट फर्श</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 3,866 प्रति वर्गमीटर की दर से 18 मिमी ग्रेनाइट फर्श का कार्य शामिल था। उपरोक्त दर डीएसआर 2014 में 0.50 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल में रसोई के प्लेटफार्मों, वैनिटी काउंटरों, खिड़की की सिलों, अग्रभागों और इसी तरह के स्थानों में ग्रेनाइट के कार्य के लिए प्रदान की गयी दर पर आधारित थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएसआर 2014 (₹ 3,244.35 प्रति वर्गमीटर) में ग्रेनाइट फर्श के कार्य के लिये अलग मद उपलब्ध होने के बावजूद, 0.50 वर्गमीटर तक के स्लैब का क्षेत्रफल (₹ 3,866 प्रति वर्गमीटर) रसोई प्लेटफार्मों, वैनिटी काउंटरों, खिड़की की सिलों, अग्रभागों और इसी तरह के स्थानों में ग्रेनाइट कार्य की दरें, ग्रेनाइट फर्श के कार्य के लिए प्रदान किया गया था।</p> <p>नवम्बर 2020 तक निर्माण एजेंसी द्वारा निष्पादित 54,616.67 घनमीटर की वास्तविक मात्रा के आधार पर, निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप गलत दरों के कारण नवम्बर 2020 तक परियोजना पर किया गया अतिरिक्त व्यय, ₹ 3.40 करोड़ है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा द्वारा उद्धृत मद फ्लेम्ड ग्रेनाइट स्टोन फ्लोरिंग प्रदान करने और बिछाने से सम्बंधित है जबकि पॉलिश किये गए ग्रेनाइट स्टोन का उपयोग परियोजना में किया जाना था।</p>	3.40

क्रम संख्या	विवरण	अतिरिक्त व्यय
	<p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राक्कलन में अपनायी गयी ₹ 3,866 प्रति वर्गमीटर की दर रसोई प्लेटफॉर्म, वैनिटी काउंटरों, खिड़की की सिलों, अग्रभागों और इसी तरह के स्थानों में ग्रेनाइट के कार्य से सम्बंधित है न कि ग्रेनाइट फर्श के कार्य के लिए। अग्रेतर, जहां तक फ्लेम्ड ग्रेनाइट पत्थर के स्थान पर पॉलिश किये गए ग्रेनाइट पत्थर के प्राक्कलन का सम्बंध है, यह उल्लेखनीय है कि फ्लेम्ड ग्रेनाइट पत्थर (₹ 2,000 प्रति वर्गमीटर) की मूल दर पॉलिश किये गए ग्रेनाइट पत्थर (₹ 1,900 प्रति वर्गमीटर) डीएसआर 2014 की तुलना में अधिक थी।</p>	
7.	<p>लिफ्ट</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 13.43 करोड़ की लागत से एलीवेटर्स/लिफ्टों की 13 मदों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। उपरोक्त मदों की दरें बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थीं जिनका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था। नवम्बर 2020 तक आपूर्ति की गयी वास्तविक मात्रा के विरुद्ध निर्माण एजेंसी को ₹ 13.35 करोड़ की धनराशि देय/का भुगतान किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गए बिलों के साथ बीजकों के आधार पर, देखा कि, निर्माण एजेंसी के लिए उक्त मदों की अभिप्राप्ति लागत ₹ 8.14 करोड़ थी। स्थापना और चालू किये जाने की लागत (वास्तविक लागत का 10 प्रतिशत और उस पर 12.36 प्रतिशत की दर से सेवा कर जैसा कि अनुमान में आर्किटेक्ट द्वारा लिया गया) और सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी, उक्त मदों की लागत केवल ₹ 9.97 करोड़ होगी। इस प्रकार, निर्माण एजेंसी को किया गया भुगतान उक्त मदों की तर्कसंगत लागत का लगभग 1.34 गुना था।</p> <p>निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक परियोजना पर किया गया अतिरिक्त व्यय ₹ 3.38 करोड़ बनता है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि प्राक्कलन सरकार द्वारा नियुक्त आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया था। चूंकि लिफ्ट स्वामित्व वाली वस्तु होती है इसलिए दरों का पुनः विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही, यह एक व्यापक प्रतिशत दर अनुबंध होने के कारण प्रत्येक मदों पर अलग से चर्चा करना थोड़ा कठिन लगता है।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूपीआरएनएन ने आपूर्ति के अन्य स्रोतों से उद्धृत दरों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अनुमान में उच्च दरों को अपनाया गया।</p>	3.38
8.	<p>सौर पीवी प्रणाली</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1.57 करोड़ प्रति प्रणाली (2 प्रणाली की कुल लागत – ₹ 3.14 करोड़) की दर से दो, 100 केल्विनपी स्टैंडअलोन सोलर पीवी प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। उपरोक्त मदों की दरें बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थीं जिनका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था। निर्माण एजेंसी ने नवम्बर 2020 तक दोनों सोलर पीवी प्रणाली की आपूर्ति की थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गए बिलों के साथ बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी ने उपरोक्त मद को ₹ 30.58 लाख प्रति सौर प्रणाली पर अभिप्राप्त किया था। परिवहन लागत (1 प्रतिशत), स्थापना (₹ 5,61,800) और सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी, उक्त मद की लागत केवल ₹ 40.15 लाख प्रति सौर प्रणाली होगी। इस प्रकार, निर्माण एजेंसी को किया गया भुगतान उक्त मद की उचित लागत का लगभग 3.91 गुना था।</p> <p>निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक परियोजना पर किया गया अतिरिक्त व्यय ₹ 2.34 करोड़ बनता है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि स्पष्ट रूप से लेखापरीक्षा ने मद के केवल कुछ भाग की दर को ही चुना है और इसकी तुलना संपूर्ण मद से की है। इसके अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूडी दरों की तुलना में प्राक्कलन के अनुसार दरें पूरी तरह से उचित हैं।</p>	2.34

क्रम संख्या	विवरण	अतिरिक्त व्यय
	<p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन द्वारा अपने उत्तर में उल्लिखित सीपीडब्ल्यूडी दरें प्लिंथ क्षेत्र की दरें थीं जिनका उपयोग केवल प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करने के लिये किया जाना था और मैनुअल के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन सामग्री, श्रम, शटरिंग, उपकरण आदि की दरों के लिए बाजार सर्वेक्षण का विस्तृत दर विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए था। अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने बीजक में दर्शाए अनुसार संपूर्ण प्रणाली की दर पर विचार किया है। करों सहित मूल दर के अलावा लेखापरीक्षा ने परिवहन की लागत, स्थापना और 10 प्रतिशत सीपीओएच को शामिल किया है जो उपरोक्त मद की अनुमानित लागत पर पहुंचने के लिए आर्किटेक्ट/यूपीआरएनएन द्वारा किये गए दर विश्लेषण के अनुरूप था।</p>	
9.	<p>यूपीएस प्रणाली</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 7.96 करोड़ की लागत से ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली की छः मदों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। उपरोक्त मदों की दरें बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थीं जिनका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था। नवम्बर 2020 तक आपूर्ति की गयी वास्तविक मात्रा के प्रति निर्माण एजेंसी को ₹ 5.58 करोड़ की धनराशि देय/का भुगतान किया गया था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गए बिलों के साथ बीजकों के आधार पर देखा कि निर्माण एजेंसी के लिए उक्त मदों की अभिप्राप्ति लागत ₹ 3.10 करोड़ थी। परिवहन लागत (1 प्रतिशत), स्थापना (3 प्रतिशत) और सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी उक्त मदों की लागत मात्र ₹ 3.54 करोड़ निकली। इस प्रकार, निर्माण एजेंसी को किया गया भुगतान उक्त मदों की तर्कसंगत लागत का लगभग 1.58 गुना था।</p> <p>निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक परियोजना पर किया गया अतिरिक्त व्यय ₹ 2.04 करोड़ बनता है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि प्राक्कलन के अनुसार दरें सीपीडब्ल्यूडी दरों की तुलना में पूरी तरह से न्यायोचित हैं, जो जीओयूपी के ईएफसी द्वारा इस कार्य को मंजूरी देने से ठीक पहले लागू हुयी थी।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन द्वारा अपने उत्तर में उल्लिखित सीपीडब्ल्यूडी दरें (₹ 20,000 प्रति केवीए) प्लिंथ क्षेत्र की दरें थीं जिनका उपयोग केवल प्रारंभिक अनुमान तैयार करने के लिए किया जाना था और मैनुअल के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन सामग्री, श्रम, शटरिंग, उपकरण आदि की दरों के लिये बाजार सर्वेक्षण का विस्तृत दर विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निर्माण एजेंसी की क्रय दरों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मद की प्राक्कलित लागत में अत्यधिक वृद्धि की गयी थी।</p>	2.04
10.	<p>वॉल लाइनिंग में ग्रेनाइट का कार्य</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 3,907.40 प्रति वर्गमीटर की दर से वॉल लाइनिंग में 18 मिमी ग्रेनाइट का कार्य शामिल था। उपरोक्त दर डीएसआर 2014 में प्रदान की गयी 0.50 वर्गमीटर से ऊपर के स्लैब का क्षेत्रफल में रसोई प्लेटफार्मों, वैनिटी काउंटरों, खिड़की की सिलों, अग्रभागों और इसी तरह के स्थानों में ग्रेनाइट कार्य के लिए दर पर आधारित थी।</p> <p>जैसा कि डीएसआर 2014 में वॉल लाइनिंग में ग्रेनाइट कार्य के लिए समान मद (वॉल लाइनिंग में 8 मिमी ग्रेनाइट का कार्य) उपलब्ध था, अतः उपरोक्त मद की दर डीएसआर 2014 में उपलब्ध समान मद की दरों के विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि वॉल लाइनिंग में ग्रेनाइट कार्य के लिए समान मद उपलब्ध होने के बावजूद, डीएसआर 2014 में 0.50 वर्गमीटर से ऊपर स्लैब का क्षेत्र (₹ 3,907.40 प्रति वर्गमीटर) में रसोई प्लेटफार्मों, वैनिटी काउंटरों, खिड़की की सिलों, अग्रभागों और इसी तरह के स्थानों में ग्रेनाइट कार्य के लिए दर प्रदान की गयी डीएसआर 2014 में उपलब्ध समान मद की दरों के विश्लेषण के आधार पर लागत निकालने के बजाय वॉल लाइनिंग में ग्रेनाइट कार्य के लिए प्रदान किया गया था। दरों के विश्लेषण के आधार पर लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार, उपरोक्त मद की दर ₹ 3,469.55 प्रति वर्गमीटर थी।</p>	1.15

क्रम संख्या	विवरण	अतिरिक्त व्यय
	<p>नवम्बर 2020 तक निर्माण एजेंसी द्वारा निष्पादित 26,268.22 घन मीटर की वास्तविक मात्रा के आधार पर, निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक परियोजना पर गलत दरों को अपनाने के कारण अतिरिक्त व्यय, ₹ 1.15 करोड़ है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि 18 मिमी मोटे ग्रेनाइट स्टोन लाइनिंग कार्य की दरें डीएसआर मद सं. 8.9.1.2 जो 8 मिमी मोटी ग्रेनाइट वॉल लाइनिंग के लिए है, के आधार पर आनुपातिक रूप से नहीं निकाला जा सकता है।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने आनुपातिक आधार पर वॉल लाइनिंग में 18 मिमी मोटे ग्रेनाइट कार्य की दर की गणना नहीं की है। दर के विश्लेषण में 18 मिमी मोटे ग्रेनाइट पत्थर के साथ 8 मिमी मोटे ग्रेनाइट पत्थर की लागत को बदलकर वॉल लाइनिंग में 18 मिमी मोटे ग्रेनाइट कार्य की दर की गणना की गयी है।</p>	
11.	<p>लॉण्ड्री उपकरण</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1.65 करोड़ की लागत से लॉण्ड्री उपकरण की 14 मदों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। उपरोक्त मदों की दरें बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थीं जिनका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था। निर्माण एजेंसी ने नवम्बर 2020 तक सभी लॉण्ड्री उपकरण की आपूर्ति की थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गए बिलों के साथ बीजकों के आधार पर देखा कि निर्माण एजेंसी के लिए उक्त मदों की अभिप्राप्ति लागत ₹ 0.76 करोड़ थी। सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी उक्त मदों की लागत मात्र ₹ 0.83 करोड़ होगी। इस प्रकार, निर्माण एजेंसी को किया गया भुगतान उक्त मदों की तर्कसंगत लागत का लगभग दोगुना था।</p> <p>निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक परियोजना पर किया गया अतिरिक्त व्यय ₹ 0.82 करोड़ बनता है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा ने संभवतः केवल लॉण्ड्री उपकरण की सामग्री लागत को संदर्भित किया है, जबकि पूरे कार्य में अन्य घटक जैसे, नींव, केबलिंग, दोष देयता, वृद्धि, कर और शुल्क, परिवहन, हैंडलिंग आदि शामिल हैं।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने सभी करों सहित दरों पर विचार किया है जैसा कि बीजक में दर्शाया गया है। विस्तृत प्राक्कलन में कोटेशन में प्राप्त दरों को परिवहन, स्थापना और सीपीओएच की लागत को शामिल किये बिना शामिल किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने बीजक के अनुसार दरों पर 10 प्रतिशत सीपीओएच की अनुमति दी है।</p>	0.82
12.	<p>आटोक्लेड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक मेसनरी</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 4,231.47 प्रति घनमीटर की दर से आटोक्लेड एरेटेड कंक्रीट (एएससी) ब्लॉक मेसनरी करना शामिल था।</p> <p>लेखापरीक्षा ने देखा कि उक्त मद की दर निकालने के लिए आर्किटेक्ट द्वारा दो फर्मों से कोटेशन प्राप्त किये गए थे। विस्तृत प्राक्कलन में हालाँकि, न्यूनतम दर ₹ 3,983.68 प्रति घनमीटर अपनाने के स्थान पर ₹ 4,231.47 प्रति घनमीटर की उच्च दर को अपनाया गया।</p> <p>नवम्बर 2020 तक निर्माण एजेंसी द्वारा निष्पादित 24,321.22 घनमीटर की वास्तविक मात्रा के आधार पर, निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक, गलत दरों को अपनाने के कारण, परियोजना पर अतिरिक्त व्यय, ₹ 0.60 करोड़ बनता है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि ठेकेदार के लाभ को न्यूनतम कोटेशन के अनुसार दरों में 10 प्रतिशत जोड़ने के बाद दरें ₹ 4,382 प्रति घनमीटर आती हैं। अतः ₹ 4,231.47 प्रति घनमीटर की निविदा दर पूर्णतया उचित है।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने प्राक्कलन तैयार करने में न्यूनतम कोटेशन के अनुसार ₹ 3,983.68 प्रति घनमीटर की दर को अपनाने के बजाय उच्च कोटेशन के अनुसार ₹ 4,231.47 प्रति घनमीटर की दर अपनाने का कोई कारण नहीं बताया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के प्राक्कलित लागत में अनुचित वृद्धि हुयी। अग्रेतर, आर्किटेक्ट ने ठेकेदार के लाभ को 10 प्रतिशत जोड़े बिना उच्च कोटेशन के अनुसार दर को अपनाया था जो दर्शाता है कि कोटेशन में उल्लिखित दरों में ठेकेदार का लाभ शामिल था।</p>	0.60

क्रम संख्या	विवरण	अतिरिक्त व्यय
13.	<p>मॉर्चरी कक्ष</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 16.56 लाख प्रति मॉर्चरी कक्ष (छः मॉर्चरी कक्षों की कुल लागत – ₹ 99.34 लाख) की दर से छः मॉर्चरी कक्षों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना शामिल था। उक्त मद की दर बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थी जिसका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था। निर्माण एजेंसी ने नवम्बर 2020 तक सभी छः मॉर्चरी की आपूर्ति की थी।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी ने उपरोक्त मद ₹ 6.40 लाख प्रति कक्ष पर अभिप्राप्त किया था। सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी वास्तविक बाजार मूल्य केवल ₹ 7.04 लाख प्रति मॉर्चरी कक्ष होगा। इस प्रकार, निर्माण एजेंसी को किया गया भुगतान उक्त मदों की तर्कसंगत लागत का लगभग 2.35 गुना था।</p> <p>निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक परियोजना पर किया गया अतिरिक्त व्यय ₹ 0.57 करोड़ है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि विस्तृत प्राक्कलन तैयार करते समय आर्किटेक्ट ने संपूर्ण बाजार सर्वेक्षण किया और न्यूनतम दरों का पता लगाया। इसने आगे कहा कि लेखापरीक्षा ने स्थापना, परीक्षण, चालू किया जाना, साइट पर भण्डारण और हैंडलिंग आदि को ध्यान में रखे बिना केवल खुली दरों को लिया है।</p> <p>उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने बीजक में दर्शायी गयी दर पर विचार किया है। करों सहित मूल दर के अतिरिक्त। लेखापरीक्षा ने 10 प्रतिशत सीपीओएच को शामिल किया है जो उपरोक्त मद की प्राक्कलित लागत पर पहुंचने के लिए आर्किटेक्ट/यूपीआरएनएन द्वारा किये गए दर विश्लेषण के अनुरूप था। इसके अलावा, निर्माण एजेंसी की क्रय दरों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मद की प्राक्कलित लागत में अत्यधिक वृद्धि की गयी थी।</p>	0.57
14.	<p>टेलीविजन सेट</p> <p>निविदा में दिये गए बिल ऑफ क्वांटिटी में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1.20 लाख प्रति सेट की दर से (800 टीवी सेट की कुल लागत – ₹ 9.60 करोड़) दीवार ब्रैकेट/स्टैंड आदि के साथ पूर्ण 42" के 800 एलईडी टीवी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू किया जाना और अन्य सभी सामान शामिल था। उक्त मद की दर बाजार दरों के विश्लेषण पर आधारित थी जिसका निर्धारण एक आपूर्तिकर्ता से कोटेशन प्राप्त करके किया गया था। निर्माण एजेंसी ने 800 टीवी सेटों के मुकाबले नवम्बर 2020 तक 55 टीवी सेटों की आपूर्ति की थी। निविदा दस्तावेजों के अनुसार टेलीविजन सेट की आपूर्ति के लिए अनुमोदित ब्रांड/निर्माता पैनासोनिक, सोनी, सैमसंग और एलजी थे। तदनुसार, निर्माण एजेंसी ने एलजी ब्रांड के टेलीविजन सेटों की आपूर्ति की है।</p> <p>लेखापरीक्षा ने निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गए बिलों के साथ बीजकों से देखा कि निर्माण एजेंसी ने उपरोक्त वस्तु को ₹ 47,360 प्रति टीवी सेट पर अभिप्राप्त किया था। सीपीओएच (10 प्रतिशत) को शामिल करने के पश्चात भी, टीवी सेटों की कीमत केवल ₹ 52,096 प्रति टीवी सेट होगी। इस प्रकार, निर्माण एजेंसी को किया गया भुगतान उक्त मद की उचित लागत का लगभग 2.30 गुना था।</p> <p>निर्माण एजेंसी को वास्तविक उच्च भुगतान और इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2020 तक परियोजना पर किया गया अतिरिक्त व्यय ₹ 0.37 करोड़ बनता है।</p> <p>प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई/सितम्बर 2021) कि प्राक्कलन तैयार करते समय एलईडी टीवी को अभी बाजार में पेश किया गया था और इसलिए बाजार की लागत अधिक थी, हालांकि, समय के साथ एलईडी टीवी की दरें बहुत तेजी से गिरावट हुयी। प्राक्कलन और निविदा तैयार करते समय प्रचलित बाजार दरों को आर्किटेक्ट/यूपीआरएनएन द्वारा शामिल किया गया था।</p> <p>प्राक्कलन तैयार करते समय उच्च कीमत के सम्बंध में प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक समसामयिक परियोजना अर्थात पुलिस भवन के निर्माण, जिसके लिए मार्च 2015 में निविदाएं आमंत्रित की गयी थी, में 42" एलईडी टीवी की प्राक्कलित लागत ₹ 1.20 लाख की तुलना में प्रति टीवी सेट ₹ 50,000 ली गयी थी। अतः प्रबंधन का उत्तर गलत एवं भ्रामक है।</p>	0.37
योग		64.60

परिशिष्ट-2.6

(प्रस्तर 2.1.5 में संदर्भित)

सलाहकार के कार्य क्षेत्र में शामिल गतिविधियों, जो परियोजना प्रबंधन की प्रकृति के हैं, को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	विवरण
1	कार्यस्थल पर निर्माण कार्यों के निष्पादन का दिन-प्रतिदिन पर्यवेक्षण; ठेकेदार के बिल को मापना, तैयार करना/जाँच करना और प्रमाणित करना और आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल डिजाइन सलाहकारों के साथ समन्वय करना और पूरा होने पर पूर्ण कार्यों को सौंपना।
2	निर्माण एजेंसी द्वारा तैयार किये गए रनिंग अकाउंट बिल को सलाहकार द्वारा पूरी तरह से जाँचा और सत्यापित किया जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यूपीआरएनएन को भुगतान और आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
3	सलाहकार तकनीकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, ड्रॉइंग, डिजाइन, प्राक्कलन, साइट सर्वेक्षण, मिट्टी की जाँच, आंतरिक और बाहरी सेवाओं के डिजाइन, स्वच्छता, नलसाजी, ड्रेनेज, जल आपूर्ति और सीवरेज, आंतरिक सड़कों, विद्युतीकरण कार्यों आदि की जाँच करेगा जैसा भी प्रकरण हो।
4	सलाहकार वैधानिक निकायों से अनुमोदन लेने के लिए जिम्मेदार होगा, अर्थात् स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा ड्राइंग का अनुमोदन, मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अग्नि मंजूरी और निर्माण एजेंसी/ए एंड ई सलाहकारों के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी।
5	इसके कार्यान्वयन, परियोजना नियोजन और साइट डेटा संग्रह आदि के सम्बंध में संरचनात्मक डिजाइन सलाहकार द्वारा तैयार किये गए वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग डिजाइनों के सम्बंध में समन्वय।
6	जब कभी संशोधित विस्तृत प्राक्कलन की आवश्यकता होगी, उसे आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया जाएगा और सलाहकार द्वारा पूरी तरह से जाँचा जाएगा।
7	सलाहकार एक परियोजना अनुसूची विकसित करेगा जो निर्माण कार्यक्रम को डिजाइन प्रयासों/अनुसूची के साथ समन्वय और एकीकृत करने/परियोजना की सभी गतिविधियों के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम को शामिल करते हुए परियोजना अनुसूची को अद्यतन करेगा।
8	अतिरिक्त मदों/प्रतिस्थापित मदों को क्रॉप/कम करने और विचलन से सख्ती से बचा जाना चाहिए। हालाँकि, अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त मदों/प्रतिस्थापित मदों में विचलन, दरों के औचित्य और विश्लेषण द्वारा समर्थित आवश्यक विवरण को सलाहकार द्वारा यूपीआरएनएन द्वारा अनुमोदित प्रारूपों के अनुसार अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों के लिए उनकी संस्तुतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सलाहकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रकरण को यूपीआरएनएन के अनुमोदन के लिए पर्याप्त रूप से जल्दी प्रस्तुत किया जाये ताकि किसी भी स्थिति में इस कारण निर्माण कार्य प्रभावित न हो।
9	कार्यस्थल की स्थितियों के कारण संशोधनों का सुझाव, यदि कोई हो, और उसके अनुमोदन के लिए यूपीआरएनएन को लागत भिन्नता के साथ संस्तुति प्रस्तुत करें।
10	वर्किंग ड्रॉइंग/निर्देशों का नियमित और समय पर प्रवाह सुनिश्चित करें ताकि उसके कारण कार्यों को बिना किसी देरी के पूरा किया जा सके।
11	किये गए कार्य के लिए ठेकेदार के आवधिक या चरण-वार बिलों के यूपीआरएनएन द्वारा भुगतान के लिए सत्यापन और संस्तुति और सामग्री/संयंत्र अग्रिम रिकॉर्डिंग कार्य के संयुक्त माप और बिलों का प्रमाण पत्र की कार्य डिजाइन, गुणवत्ता आदि के अनुसार है, और आवश्यक साइट कम्प्यूटरीकृत माप रिकॉर्ड और अन्य साइट रिकॉर्ड बनाए रखना है जो यूपीआरएनएन को सत्यापन/प्रमाणीकरण के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं यदि यूपीआरएनएन द्वारा आवश्यक हो।
12	अन्य एजेंसियों जैसी राज्य विद्युत बोर्ड, अन्य स्थानीय प्राधिकरणों आदि के साथ समन्वय जिसकी उसी क्षेत्र में कार्य करने की सम्भावना हो सकती है।
13	यदि वैधानिक निकायों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए या पूर्ण किये गए कार्यों/क्षेत्रों को चालू करने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्यों की आवश्यकता होती है, तो सलाहकार, यूपीआरएनएन की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात, समान पूर्ण कार्यों को यूपीआरएनएन को सौंपने से पहले इसे पूरा करना सुनिश्चित करेगा।

क्रम संख्या	विवरण
14	आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल डिजाइन कंसल्टेंट से सभी अभिलेख प्राप्त एवं जमा करना और कार्यों की प्रगति के दौरान कार्यों में किये गए किसी भी बदलाव को अभिलेखित करना और निर्माण एजेंसी/सलाहकार द्वारा तैयार किये गए प्रोजेक्ट के लिए पूर्णता रिपोर्ट और पूर्णता ड्राइंग जमा करना, जिसमें ऐसे सभी परिवर्तन शामिल हों, जो सांविधिक प्राधिकारियों से विधिवत प्रमाणित "पूर्णता/अधिभोग प्रमाणपत्र" प्राप्त करने के लिए आवश्यकता जो जहां कहीं भी आवश्यक हो।
15	सलाहकार भी खातों को अंतिम रूप देने के लिये यूपीआरएनएन द्वारा जानकारी प्रस्तुत करेगा और सहमत शर्तों पर खातों को अंतिम रूप दिये जाने तक जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध होगा।
16	ड्राइंग के अनुसार भवनों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संरेखण की जाँच करना और निर्माण के बाद/बिल्ड ड्राइंग के रूप में तैयार करने के लिए वास्तु सलाहकार के साथ समन्वय करना।

परिशिष्ट-2.7
(प्रस्तर 2.1.7 में संदर्भित)
प्रकरणों में सम्मिलित बॉट आउट मदों की लागत को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
1.	लाईट फिक्सचर	46.14
2.	सौर ऊर्जा प्रणाली (लगभग 2 x 100 केडब्ल्यू)	3.14
3.	टेलीविजन सेट्स	9.60
4.	लिफ्ट	17.50
5.	रसोई उपकरण	1.25
6.	लॉण्ड्री उपकरण	1.65
7.	चिकित्सा उपकरण	56.52
8.	आर्ट वर्क	3.41
9.	फिश टैंक	10.24
10.	बिल्डिंग साइनेज	1.00
योग		150.45

परिशिष्ट-2.8
(प्रस्तर 2.4 में संदर्भित)

निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर एनईटीसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विफलता के कारण यूपीएसआरटीसी को परिहार्य हानि को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

अवधि	पी एंड एल खाते के अनुसार टोल टैक्स की धनराशि	फास्टैग के माध्यम से भुगतान किया गया टोल टैक्स	कैशबैक की दर	वर्ष के दौरान कैशबैक	भुगतान किया गया कुल टोल टैक्स (कैशबैक सहित)	टोल टैक्स का नकद में भुगतान	नकद भुगतान के कारण कैशबैक नहीं मिला
1	2	3	4	5=3*4	6=2+5	7=6-3	8=7*4
2017-18 (जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक)	154.00	84.64	7.50%	6.35	160.35	75.71	5.68
2018-19	217.56	83.24	5%	4.16	221.72	138.48	6.92
2019-20	239.36	115.97	2.50%	2.90	242.26	126.29	3.16
योग	610.92	283.85		13.41	624.33	340.48	15.76
घटाया: कुल टोल टैक्स भुगतान का 10 प्रतिशत यह मानते हुए कि यह अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नकद में किया जाना आवश्यक होगा जैसा कि आरएफआईडी कार्ड नहीं पढ़ना, फास्टैग लगाने के लिए बसों में टूटी या अनुपस्थित विंडस्क्रीन आदि।							1.58
निगम को कुल परिहार्य हानि							14.18

परिशिष्ट-2.9
(प्रस्तर 2.4 में संदर्भित)

विभिन्न क्षेत्रों द्वारा एनईटीसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	क्षेत्रीय प्रबंधक का नाम	वर्ष	बसों की कुल संख्या	फास्टैग वाली बसों की संख्या	फास्टैग के बिना बसों की संख्या	फास्टैग वाली बसों का प्रतिशत
1	क्षेत्रीय प्रबंधक मुरादाबाद	जुलाई-2017	748	341	407	45.59
		मार्च-2018	734	371	363	50.54
		मार्च-2019	711	440	271	61.88
		मार्च-2020	697	601	96	86.23
2	क्षेत्रीय प्रबंधक कानपुर	जुलाई-2017	613	418	195	68.19
		मार्च-2018	598	376	222	62.88
		मार्च-2019	626	381	245	60.86
		मार्च-2020	605	460	145	76.03
3	क्षेत्रीय प्रबंधक गाज़ियाबाद	जुलाई-2017	962	672	290	69.85
		मार्च-2018	935	567	368	60.64
		मार्च-2019	1007	467	540	46.38
		मार्च-2020	975	875	100	89.74
4	क्षेत्रीय प्रबंधक देवीपाटन	जुलाई-2017	285	114	171	40.00
		मार्च-2018	286	85	201	29.72
		मार्च-2019	292	48	244	16.44
		मार्च-2020	276	120	156	43.48
5	क्षेत्रीय प्रबंधक इटावा	जुलाई-2017	519	436	83	84.01
		मार्च-2018	512	396	116	77.34
		मार्च-2019	565	420	145	74.34
		मार्च-2020	509	424	85	83.30
6	क्षेत्रीय प्रबंधक प्रयागराज	जुलाई-2017	625	597	28	95.52
		मार्च-2018	623	589	34	94.54
		मार्च-2019	606	535	71	88.28
		मार्च-2020	607	579	28	95.39
7	क्षेत्रीय प्रबंधक हरदोई	जुलाई-2017	738	531	207	71.95
		मार्च-2018	715	606	109	84.76
		मार्च-2019	761	613	148	80.55
		मार्च-2020	754	641	113	85.01
8	क्षेत्रीय प्रबंधक सहारनपुर	जुलाई-2017	631	98	533	15.53
		मार्च-2018	631	170	461	26.94
		मार्च-2019	637	277	360	43.49
		मार्च-2020	628	400	228	63.69
9	क्षेत्रीय प्रबंधक मेरठ	जुलाई-2017	836	118	718	14.11
		मार्च-2018	835	186	649	22.28
		मार्च-2019	818	309	509	37.78
		मार्च-2020	806	600	206	74.44
10	क्षेत्रीय प्रबंधक झांसी	जुलाई-2017	237	231	6	97.47
		मार्च-2018	241	212	29	87.97
		मार्च-2019	247	213	34	86.23
		मार्च-2020	234	211	23	90.17
11	क्षेत्रीय प्रबंधक वाराणसी	जुलाई-2017	635	392	243	61.73
		मार्च-2018	626	352	274	56.23
		मार्च-2019	582	362	220	62.20
		मार्च-2020	545	466	79	85.50
12	क्षेत्रीय प्रबंधक अयोध्या	जुलाई-2017	361	155	206	42.94
		मार्च-2018	348	224	124	64.37
		मार्च-2019	357	221	136	61.90
		मार्च-2020	356	302	54	84.83

क्रम संख्या	क्षेत्रीय प्रबंधक का नाम	वर्ष	बसों की कुल संख्या	फास्टैग वाली बसों की संख्या	फास्टैग के बिना बसों की संख्या	फास्टैग वाली बसों का प्रतिशत
13	क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा	जुलाई-2017	589	353	236	59.93
		मार्च-2018	568	341	227	60.04
		मार्च-2019	621	466	155	75.04
		मार्च-2020	578	520	58	89.97
14	क्षेत्रीय प्रबंधक आजमगढ़	जुलाई-2017	466	436	30	93.56
		मार्च-2018	454	370	84	81.50
		मार्च-2019	441	321	120	72.79
		मार्च-2020	403	357	46	88.59
15	क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ	जुलाई-2017	1079	478	601	44.30
		मार्च-2018	1069	375	694	35.08
		मार्च-2019	1095	387	708	35.34
		मार्च-2020	1089	795	294	73.00
16	क्षेत्रीय प्रबंधक अलीगढ़	जुलाई-2017	704	340	364	48.30
		मार्च-2018	685	361	324	52.70
		मार्च-2019	701	305	396	43.51
		मार्च-2020	687	389	298	56.62
17	क्षेत्रीय प्रबंधक नोएडा	जुलाई-2017	300	170	130	56.67
		मार्च-2018	276	218	58	78.99
		मार्च-2019	365	224	141	61.37
		मार्च-2020	379	363	16	95.78
18	क्षेत्रीय प्रबंधक गोरखपुर	जुलाई-2017	750	542	208	72.27
		मार्च-2018	760	564	196	74.21
		मार्च-2019	761	545	216	71.62
		मार्च-2020	817	647	170	79.19
19	क्षेत्रीय प्रबंधक चित्रकूट	जुलाई-2017	423	258	165	60.99
		मार्च-2018	416	241	175	57.93
		मार्च-2019	422	237	185	56.16
		मार्च-2020	401	366	35	91.27
20	क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली	जुलाई-2017	654	147	507	22.48
		मार्च-2018	650	137	513	21.08
		मार्च-2019	667	134	533	20.09
		मार्च-2020	680	414	266	60.88
योग		जुलाई-2017	12155	6827	5328	56.17
		मार्च-2018	11962	6741	5221	56.35
		मार्च-2019	12282	6905	5377	56.22
		मार्च-2020	12026	9530	2496	79.24

परिशिष्ट-2.10
(प्रस्तर 2.5 में संदर्भित)
‘गो-लाइव’ से पूर्व किये गए भुगतानों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	‘गो-लाइव’ तिथि	स्वीकृत बैचवार ‘गो-लाइव’ तिथि	अवधि	धनराशि (₹)
1	लखनऊ	16/04/2014	05/05/2014	फरवरी 2013 से अप्रैल 2014	13290308
2	गाज़ियाबाद	05/05/2014	05/05/2014	फरवरी 2013 से अप्रैल 2014	12125442
3	आगरा	15/09/2014	15/10/2014	फरवरी 2013 से सितम्बर 2014	11881477
4	सहारनपुर	15/10/2014	15/10/2014	मार्च 2013 से सितम्बर 2014	16979313
5	मुरादाबाद	30/09/2014	15/10/2014	अगस्त 2013 से सितम्बर 2014	17672617
6	मेरठ	24/08/2014	21/11/2014	जून 2013 से अक्टूबर 2014	29544453
7	अलीगढ़	23/10/2014	21/11/2014	जुलाई 2013 से अक्टूबर 2014	16338675
8	बरेली	21/11/2014	21/11/2014	फरवरी 2013 से अक्टूबर 2014	13854352
9	हरदोई	31/10/2014	17/12/2014	जुलाई 2013 से नवम्बर 2014	13193385
10	कानपुर	17/12/2014	17/12/2014	फरवरी 2013 से नवम्बर 2014	8456711
11	फैजाबाद	22/11/2014	17/12/2014	अगस्त 2013 से नवम्बर 2014	8548710
12	इटवा	16/01/2015	05/02/2015	मई 2013 से जनवरी 2015	10869157
13	देवीपाटन	05/02/2015	05/02/2015	अगस्त 2013 से जनवरी 2015	4482468
14	चित्रकूट	31/10/2014	05/02/2015	अक्टूबर 2013 से जनवरी 2015	7041406
15	वाराणसी	09/12/2014	07/11/2015	फरवरी 2013 से अक्टूबर 2015	23628868
16	नोएडा	07/11/2015	07/11/2015	नवम्बर 2013 से अक्टूबर 2015	18611231
17	झांसी	11/11/2014	07/11/2015	अक्टूबर 2013 से अक्टूबर 2015	4696906
18	गोरखपुर	30/11/2014	15/12/2014	अक्टूबर 2013 से नवम्बर 2014	15291032
19	आज़मगढ़	11/12/2014	15/12/2014	मार्च 2013 से नवम्बर 2014	9622780
20	इलाहाबाद	15/12/2014	15/12/2014	फरवरी 2013 से नवम्बर 2014	10085003
योग					266214294

परिशिष्ट-2.11

(प्रस्तर 2.5 में संदर्भित)

ईटीएम और वीटीएस की क्रय पर किये गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

भुगतान की तिथि	भुगतान की गयी धनराशि (₹)	क्रय आदेश	टिप्पणियाँ
3/2/2016	20000000	03/36 दिनांक 13/15.01.2016	ईटीएम - 1000 @ ₹ 20765 एवं वीटीएस - 162 @ ₹ 11660
29/6/2016	2653920		
20/6/2016	11836620	35/41 दिनांक 09.06.2016	ईटीएम - 1140 @ ₹ 10383
20/6/2016	12458400	36/41 दिनांक 09.06.2016	ईटीएम - 2400 @ ₹ 5191
6/4/2017	7200000	52/41 दिनांक 02.08.2016	ईटीएम - 3938 @ ₹ 20765 एवं वीटीएस - 4334 @ ₹ 11660 (वास्तव में प्राप्त - 3759 वीटीएस)
22/5/2017	52093654		
30/5/2017	2914970		
योग	109157564		

परिशिष्ट-2.12

(प्रस्तर 2.5 में संदर्भित)

ट्राइमैक्स से कम वसूली के तीन दृष्टान्तों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	दृष्टान्तों का विवरण
1	भुगतान गेटवे शुल्क: यूपीएसआरटीसी को भुगतान गेटवे सेवाएं प्रदान करने के लिए यूपीएसआरटीसी, ट्राइमैक्स एवं एटम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एटीएल) के मध्य निष्पादित (फरवरी 2013) त्रिपक्षीय अनुबंध के क्लॉज 3.1 के अनुसार, गेटवे शुल्क ट्राइमैक्स द्वारा वहन किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि फरवरी 2013 से नवम्बर 2020 के दौरान गेटवे शुल्कों के लिए एटीएल को ₹ 2.56 करोड़ के भुगतान के सापेक्ष, यूपीएसआरटीसी के लखनऊ क्षेत्र ³ ने ट्राइमैक्स के बिलों से केवल ₹ 1.78 करोड़ की धनराशि की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.78 करोड़ की कम वसूली हुयी।
2.	किराये के ईटीएम पर व्यय का वसूल न किया जाना: अनुबंध के क्लॉज 29.5 एवं 29.10 के साथ पठित क्लॉज 8.2.11.4 के अनुसार, ट्राइमैक्स को प्रत्येक डिपो में ईटीएम का 25 प्रतिशत बफर बनाए रखने की आवश्यकता थी, वारण्टी अवधि के दौरान निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर मरम्मत एवं परिस्थापन सहित दोषों का त्वरित उपचार अपनी लागत पर किया जाना है। ऐसे न करने पर, यूपीएसआरटीसी को अपने बसों के सुचारु संचालन के लिए ट्राइमैक्स से उचित लागत वसूल करने का अधिकार होगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि बसों के सुचारु संचालन के लिये ट्राइमैक्स, लखनऊ, गाज़ियाबाद एवं मुरादाबाद क्षेत्रों को आवश्यक संख्या में ईटीएम प्रदान करने और ईटीएम परिचालन डाटाबेस से सम्बंधित आईटी प्रणाली में दोषों को दूर करने में विफल रहा। ट्राइमैक्स की इस विफलता के कारण यूपीएसआरटीसी ने 650 ईटीएम प्रति माह ₹ 360 की दर से मैसर्स ओमनीफिसेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओटीपीएल) से किराये पर लिया। यूपीएसआरटीसी मुख्यालय ने नवम्बर 2020 तक ओटीपीएल को किराये प्रभारों के लिये ₹ 28.08 लाख का भुगतान किया लेकिन इसने अनुबंध के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद ट्राइमैक्स के बकाया से उक्त धनराशि की वसूली नहीं की।
3.	शास्ति की कम कटौती: अनुबंध के क्लॉज 19.4 (ए) के अनुसार, ट्राइमैक्स द्वारा सभी स्थानों पर परियोजना के अंतिम 'गो-लाइव' में विलंब के लिए ₹ 20,000 प्रति दिन की दर से शास्ति यूपीएसआरटीसी को देय थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीएसआरटीसी के कार्यकारी अधिकारियों ⁴ ने एक समीक्षा बैठक (अगस्त 2014) में सभी क्षेत्रों के अंतिम 'गो-लाइव' की अनुबंधित तिथि 07 मई 2014 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2014 करने का निर्णय लिया जिसके सापेक्ष अंतिम 'गो-लाइव' 07 नवम्बर 2015 को प्राप्त हुआ। तदनुसार यूपीएसआरटीसी मुख्यालय ने ट्राइमैक्स द्वारा किये गए अग्रिम निवेश के लिए मुआवजे ⁵ की धनराशि निर्गत करते समय (मार्च 2017) इस तरह के विस्तार पर प्रबंध निदेशक की मंजूरी के बिना संविदा तिथि से 549 दिनों ⁶ के विलम्ब के लिए ₹ 1.10 करोड़ की वसूली योग्य शास्ति के विरुद्ध 432 दिनों ⁷ की देरी के लिए ₹ 0.86 करोड़ की शास्ति की कटौती की। इस प्रकार, यूपीएसआरटीसी के सम्बंधित अधिकारियों की कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 0.24 करोड़ की कम वसूली हुयी।

³ इस क्षेत्र को ट्राइमैक्स द्वारा इस क्षेत्र को जारी बिलों से गेटवे चार्ज की वसूली के लिए नामित किया गया था।

⁴ सीजीएम (संचालन), प्रबंधक (एमआईएस) एवं सहायक प्रबंधक (एमआईएस)।

⁵ ₹ 19.13 करोड़ - ₹ 1.60 करोड़ जिसमें ₹ 0.86 करोड़ ('गो-लाइव' के लिये शास्ति), ₹ 0.24 करोड़ (विज्ञापन के लिए शास्ति) एवं ₹ 0.50 करोड़ (वसूली के लिये प्रतिधारण) सम्मिलित है।

⁶ 07.05.2014 एवं 31.08.2014 के मध्य दिनों सहित।

⁷ 31.08.2014 (सभी क्षेत्रों के अंतिम 'गो-लाइव' की विस्तारित तिथि) एवं 07.11.2015 (अंतिम 'गो-लाइव' प्राप्ति) के मध्य दिन।

परिशिष्ट-2.13
(प्रस्तर 2.5 में संदर्भित)
फर्म से कुल वसूली योग्य धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

प्रस्तर	वसूली योग्य धनराशि (₹ करोड़ में)
(i) 'गो-लाइव' के पूर्व टिकटों के दावों के लिए भुगतान	26.62
(ii) एसएलए शास्तियों की कटौती नहीं हुयी	30.09
(iii) वीटीएस एवं ईटीएम की आपूर्ति के लिए भुगतान	10.92
(iv) वीटीएस एवं ईटीएम की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए भुगतान	0.91
(v) ट्राइमैक्स से कम/नहीं वसूली	
गेटवे शुल्क	0.78
किराए के ईटीएमस् पर व्यय	0.28
'गो-लाइव' शास्ति	0.24
योग	69.84

परिशिष्ट-2.14

(प्रस्तर 2.6.1 में संदर्भित)

2016-17 से 2018-19 के अवधि के दौरान क्रय किये गए वितरण परिवर्तकों का विवरण

डिस्कॉम्स का नाम	अन्तिमीकृत निविदा (संख्या में)	अन्तिमीकृत निविदा में परिवर्तक (संख्या में)	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा के लिए चयनित निविदा (संख्या में)	लेखापरीक्षा के लिए चयनित निविदाओं में कुल परिवर्तकों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
एमवीवीएनएल	35	60480	430.86	09	22762	153.01
पूवीवीएनएल	41	70540	656.54	11	38132	237.02
डीवीवीएनएल	45	101840	687.23	12	50291	326.86
पीवीवीएनएल	25	68476	715.08	16	56194	600.40
योग	146	301336	2489.71	48	167379	1317.29

2016-17 से 2018-19 के दौरान परिवर्तकों की मरम्मत का विवरण

डिस्कॉम्स का नाम	अन्तिमीकृत निविदा (संख्या में)	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा के लिए चयनित निविदा (संख्या में)	धनराशि (₹ करोड़ में)
एमवीवीएनएल	04	38.60	02	30.00
पूवीवीएनएल	06	66.29	03	32.29
डीवीवीएनएल	03	51.27	01	23.27
पीवीवीएनएल	07	134.07	03	62.17
योग	20	290.23	09	147.73

परिशिष्ट-2.15
(प्रस्तर 2.6.5.1 में संदर्भित)
विफल वितरण परिवर्तकों (डीटी) का विवरण

वर्ष	वितरण परिवर्तक					निर्धारित मानदण्डों से अधिक विफलता (प्रतिशत में)
	डिस्कॉम्स	वर्ष के शुरुआत में स्थापित	वास्तविक विफलता	मानदण्ड के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से विफलता	मानदण्ड की अधिकता में विफलता	
2016-17	एमवीवीएनएल	219274	54664	4385	50279	22.93
	पूवीवीएनएल	367431	72851	7348	65503	17.82
	डीवीवीएनएल	207702	39459	4154	35305	17.00
	पीवीवीएनएल	238222	44594	4764	39830	16.72
	योग	1032629	211568	20651	190917	18.49
2017-18	एमवीवीएनएल	272033	58738	5441	53297	19.59
	पूवीवीएनएल	373781	69221	7475	61746	16.52
	डीवीवीएनएल	238244	47729	4765	42964	18.03
	पीवीवीएनएल	267772	52865	5355	47510	17.74
	योग	1151830	228553	23036	205517	17.84
2018-19	एमवीवीएनएल	332954	74133	6659	67474	20.27
	पूवीवीएनएल	450237	81688	9004	72684	16.14
	डीवीवीएनएल	316513	50404	6330	44074	13.92
	पीवीवीएनएल	365132	55786	7303	48483	13.28
	योग	1464836	262011	29296	232715	15.89

परिशिष्ट-2.16

(प्रस्तर 2.7 में संदर्भित)

टीपीएल द्वारा बिल किये गये एवं अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किये गए आरएससी तथा डीवीएनएल को टीआईआर साझाकरण प्रक्रिया एवं बिना टीआईआर साझाकरण प्रक्रिया से हस्तांतरित आरएससी को दर्शाने वाला विवरण

माह	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया आरएससी-2	ग	घ=ख+ग	च	छ	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-2	ट	ठ=झ+ट	ड=ज-ठ	टीपीएल के पास पड़ा हुआ माहवार संवीय आरएससी	टीपीएल के ब्याज के लिए लिया गया माह ब्याज	10.75 प्रतिशत प्रति की दर से
	ख	ग	घ	च	छ	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1
क	ख	ग	घ=ख+ग	च	छ	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1
अ. डीवीएनएल द्वारा टीपीएल से बिना टीआईआर प्रक्रिया के माध्यम से आरएससी की वसूली (प्रत्यक्ष रूप से)																
जून-13	1.00	0.00	1.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	1 0.01
जुलाई-13	2.75	0.00	2.75	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37	0.00	1 0.03
अगस्त-13	2.91	0.00	2.91	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66	0.00	1 0.05
सितम्बर-13	2.71	0.00	2.71	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19	0.00	1 0.07
अक्टूबर-13	2.58	0.00	2.58	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	1 0.02
नवम्बर-13	2.15	0.00	2.15	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	1 0.00
दिसम्बर-13	1.92	0.00	1.92	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	1 0.01
जनवरी-14	2.07	0.00	2.07	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	1 0.01
फरवरी-14	2.00	0.00	2.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	1 0.01
मार्च-14	2.06	0.00	2.06	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	1 0.03
अप्रैल-14	0.79	0.00	0.79	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	0.00	1 0.03
मई-14	0.14	0.00	0.14	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08	0.00	1 0.04
जून-14	0.78	0.00	0.78	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.00	1 0.02
जुलाई-14	2.59	0.00	2.59	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	1 0.02
अगस्त-14	2.27	0.00	2.27	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	1 0.03
सितम्बर-14	2.11	0.00	2.11	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	1 0.03

माह	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया आरएससी-2	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया कुल आरएससी	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-2	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया कुल आरएससी	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को हस्तांतरित कुल आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को कम हस्तांतरित आरएससी	टीपीएल के पास पड़ा हुआ माहवार संघीय आरएससी	ब्याज के लिए लिया गया माह	10.75 प्रतिशत प्रति की दर से ब्याज	
क	ख	ग	घ=ख+ग	च	छ	ज=च+छ	झ	ट	ठ=झ+ट	ड=ज+ठ	द	त	थ=द+त* 10.75/ 1200
अक्टूबर-14	2.03	0.00	2.03	2.03	0.00	2.03	1.50	0.00	1.50	0.53	3.47	1	0.03
नवम्बर-14	1.76	0.00	1.76	1.73	0.00	1.73	0.80	0.00	0.80	0.93	4.40	1	0.04
दिसम्बर-14	1.61	0.00	1.61	1.64	0.00	1.64	1.90	0.00	1.90	-0.26	4.14	1	0.04
जनवरी-15	1.68	0.00	1.68	1.49	0.00	1.49	1.40	0.00	1.40	0.09	4.23	1	0.04
फरवरी-15	1.66	0.00	1.66	1.88	0.00	1.88	1.29	0.00	1.29	0.59	4.82	1	0.04
मार्च-15	1.68	0.00	1.68	1.59	0.00	1.59	1.30	0.00	1.30	0.29	5.11	1	0.05
अप्रैल-15	1.97	0.00	1.97	1.63	0.00	1.63	1.57	0.00	1.57	0.06	5.17	1	0.05
उप-योग (अ)	43.21	0.00	43.21	39.93	0.00	39.93	34.76	0.00	34.76	5.17			0.70
ब. डीवीवीएनएल द्वारा टीपीएल से टीआईआर प्रक्रिया के माध्यम से आरएससी की वसूली (अप्रत्यक्ष रूप से)													
अक्टूबर-14	0.00	0.54	0.54	0.00	0.44	0.44	0.00	0.53	0.53	-0.09	5.08	1	0.05
नवम्बर-14	0.00	1.40	1.40	0.00	1.16	1.16	0.00	0.98	0.98	0.18	5.26	1	0.05
दिसम्बर-14	0.00	1.36	1.36	0.00	1.18	1.18	0.00	1.21	1.21	-0.03	5.23	1	0.05
जनवरी-15	0.00	1.40	1.40	0.00	1.20	1.20	0.00	1.34	1.34	-0.14	5.09	1	0.05
फरवरी-15	0.00	1.39	1.39	0.00	1.42	1.42	0.00	1.04	1.04	0.39	5.48	1	0.05
मार्च-15	0.00	1.41	1.41	0.00	1.29	1.29	0.00	1.15	1.15	0.14	5.62	1	0.05
अप्रैल-15	0.00	1.65	1.65	0.00	1.50	1.50	0.00	1.40	1.40	0.10	5.72	1	0.05
मई-15	1.54	2.07	3.61	1.86	1.91	3.77	1.34	1.56	2.91	0.86	6.58	1	0.06
जून-15	1.92	2.36	4.28	2.02	2.33	4.36	1.36	1.81	3.17	1.18	7.76	1	0.07
जुलाई-15	2.09	3.92	6.01	1.95	3.46	5.40	1.58	2.70	4.28	1.13	8.89	1	0.08
अगस्त-15	2.06	4.39	6.44	1.89	3.85	5.74	1.54	3.31	4.85	0.89	9.78	1	0.09
सितम्बर-15	1.94	4.15	6.09	1.82	3.88	5.70	1.42	2.84	4.26	1.44	11.21	1	0.10
अक्टूबर-15	1.88	3.92	5.80	1.72	3.56	5.28	1.29	2.77	4.06	1.22	12.43	1	0.11

माह	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया आरएससी-2	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया कुल आरएससी	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-2	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया कुल आरएससी	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को हस्तांतरित कुल आरएससी	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को कम हस्तांतरित आरएससी	टीपीएल के पास पड़ा हुआ माहवार संवीय आरएससी	ब्याज के लिए लिया गया माह	10.75 प्रतिशत प्रति की दर से ब्याज
क	ख	ग	घ=ख+ग	च	छ	ज=च+छ	झ	ट	ठ=झ+ट	ड=ज+ड	ढ	त	थ=ढ*त* 10.75/ 1200
नवम्बर-15	1.61	3.20	4.81	1.60	3.15	4.75	1.09	2.17	3.26	1.49	13.92	1	0.12
दिसम्बर-15	1.43	2.76	4.19	1.53	2.91	4.44	1.10	2.20	3.29	1.15	15.07	1	0.13
जनवरी-16	1.43	2.77	4.20	1.37	2.63	4.00	1.26	2.24	3.49	0.50	15.57	1	0.14
फरवरी-16	1.42	2.76	4.18	1.33	2.59	3.92	0.98	1.97	2.95	0.97	16.54	1	0.15
मार्च-16	1.59	3.09	4.68	1.69	3.09	4.78	1.20	2.25	3.46	1.32	17.86	1	0.16
अप्रैल-16	0.82	3.68	4.49	0.75	3.47	4.22	0.58	2.91	3.49	0.73	18.59	1	0.17
मई-16	-0.18	4.45	4.28	0.29	4.39	4.68	-0.22	3.30	3.08	1.61	20.20	1	0.18
जून-16	0.00	4.82	4.82	0.14	4.45	4.59	0.00	3.52	3.52	1.08	21.27	1	0.19
जुलाई-16	0.00	4.79	4.79	0.04	4.39	4.43	0.00	3.02	3.02	1.40	22.68	1	0.20
अगस्त-16	0.00	4.41	4.40	0.11	4.25	4.36	0.00	3.12	3.12	1.24	23.92	1	0.21
सितम्बर-16	0.00	4.72	4.72	0.02	4.13	4.15	0.00	3.09	3.09	1.06	24.97	1	0.22
अक्टूबर-16	0.00	4.47	4.47	0.40	3.22	3.63	0.00	2.97	2.97	0.66	25.64	1	0.23
नवम्बर-16	0.00	3.46	3.46	0.22	2.63	2.85	0.00	2.06	2.06	0.79	26.43	1	0.24
दिसम्बर-16	0.00	2.75	2.75	0.02	2.62	2.64	0.00	2.15	2.15	0.49	26.92	1	0.24
जनवरी-17	-0.01	2.91	2.90	0.10	3.53	3.63	0.00	2.26	2.26	1.38	28.29	1	0.25
फरवरी-17	0.00	2.84	2.84	0.01	3.02	3.03	0.00	1.95	1.95	1.08	29.37	1	0.26
मार्च-17	0.00	3.23	3.22	0.19	3.19	3.38	0.00	2.32	2.32	1.06	30.43	1	0.27
अप्रैल-17	-0.01	4.10	4.09	0.08	3.98	4.06	0.00	3.14	3.14	0.92	31.34	1	0.28
मई-17	0.00	5.09	5.09	0.03	4.59	4.62	0.00	3.70	3.70	0.92	32.26	1	0.29
जून-17	0.00	5.20	5.20	0.11	5.02	5.13	0.00	3.74	3.74	1.40	33.65	1	0.30
जुलाई-17	0.00	5.47	5.47	0.02	5.30	5.32	0.00	3.42	3.42	1.90	35.55	1	0.32
अगस्त-17	0.00	5.26	5.26	0.01	5.02	5.04	0.00	3.26	3.26	1.77	37.32	1	0.33
सितम्बर-17	0.00	4.94	4.94	0.04	4.68	4.72	0.00	3.16	3.16	1.56	38.88	1	0.35
अक्टूबर-17	0.00	4.79	4.79	0.01	4.74	4.75	0.00	2.74	2.74	2.01	40.89	1	0.37

माह	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया आरएससी-2	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया कुल आरएससी	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-2	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया कुल आरएससी	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को हस्तांतरित कुल आरएससी	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को कम हस्तांतरित आरएससी	टीपीएल के पास पड़ा हुआ माहवार संवीय आरएससी	ब्याज के लिए लिया गया माह	10.75 प्रतिशत प्रति की दर से ब्याज
क	ख	ग	घ=ख+ग	च	छ	ज=च+छ	झ	ट=झ+ट	ड=ज+ड	ढ	त	थ=ढ*त* 10.75/ 1200
नवम्बर-17	0.00	3.59	3.59	0.03	3.56	3.59	0.00	2.00	1.59	42.48	1	0.38
दिसम्बर-17	0.00	3.17	3.17	0.02	3.22	3.25	0.00	2.20	1.05	43.53	1	0.39
जनवरी-18	0.00	3.41	3.41	0.01	3.41	3.54	0.00	2.40	1.14	44.66	1	0.40
फरवरी-18	0.00	3.19	3.19	0.01	3.17	3.18	0.00	2.11	1.07	45.74	1	0.41
मार्च-18	0.00	3.70	3.70	0.04	3.56	3.60	0.00	2.57	1.03	46.76	1	0.42
अप्रैल-18	0.00	4.36	4.36	0.04	4.24	4.27	0.00	2.93	1.34	48.11	1	0.43
मई-18	0.00	5.49	5.49	0.01	5.17	5.18	0.00	3.87	1.31	49.41	1	0.44
जून-18	0.00	6.32	6.32	0.02	6.02	6.04	0.00	3.93	2.10	51.51	1	0.46
जुलाई-18	0.00	6.34	6.33	0.01	6.02	6.03	0.00	3.62	2.42	53.93	1	0.48
अगस्त-18	0.00	5.77	5.77	0.01	5.51	5.51	0.00	3.37	2.14	56.07	1	0.50
सितम्बर-18	0.00	5.20	5.20	0.01	4.90	4.91	0.00	3.09	1.82	57.89	1	0.52
अक्टूबर-18	0.00	4.92	4.92	0.01	4.56	4.57	0.00	2.87	1.70	59.60	1	0.53
नवम्बर-18	0.00	3.87	3.87	0.01	3.88	3.88	0.00	2.08	1.81	61.40	1	0.55
दिसम्बर-18	0.00	3.41	3.41	0.00	3.19	3.19	0.00	2.23	0.96	62.36	1	0.56
जनवरी-19	0.00	3.43	3.43	0.01	3.38	3.39	0.00	2.31	1.08	63.44	1	0.57
फरवरी-19	0.00	3.25	3.25	0.01	3.76	3.77	0.00	1.91	1.86	65.30	1	0.58
मार्च-19	0.00	3.33	3.33	0.02	3.86	3.87	0.00	2.22	1.66	66.95	1	0.60
अप्रैल-19	0.00	4.43	4.43	0.01	4.04	4.05	0.00	3.35	0.70	67.65	1	0.61
मई-19	0.00	5.77	5.77	0.01	5.25	5.26	0.00	3.96	1.30	68.95	1	0.62
जून-19	0.00	6.64	6.64	0.00	5.97	5.97	0.00	4.20	1.78	70.72	1	0.63
जुलाई-19	0.00	6.37	6.37	0.00	5.90	5.91	0.00	3.78	2.13	72.85	1	0.65
अगस्त-19	0.00	6.18	6.18	0.01	6.09	6.09	0.00	3.63	2.47	75.32	1	0.67
सितम्बर-19	0.00	3.92	3.92	0.00	3.96	3.96	0.00	2.21	1.75	77.07	1	0.69
अक्टूबर-19	0.00	0.20	0.20	0.01	0.99	1.00	0.00	0.00	1.00	78.07	1	0.70
नवम्बर-19	0.00	0.00	0.00	0.01	0.31	0.32	0.00	0.00	0.32	78.39	1	0.70

माह	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया आरएससी-2	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बिल किया गया कुल आरएससी	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-1	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया आरएससी-2	टीपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं से संग्रहित किया गया कुल आरएससी	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-1	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को हस्तांतरित आरएससी-2	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को हस्तांतरित कुल आरएससी	टीपीएल द्वारा डीवीवीएनएल को कम हस्तांतरित आरएससी	टीपीएल के पास पड़ा हुआ माहवार संवीय आरएससी	ब्याज के लिए लिया गया माह	10.75 प्रतिशत प्रति की दर से ब्याज
क	ख	ग	घ=ख+ग	च	छ	ज=च+छ	झ	ट	ठ=झ+ट	ड=ज-ठ	ढ	त	श=ढ*त* 10.75/ 1200
दिसम्बर-19	0.00	0.00	0.00	0.02	0.43	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	78.83	1	0.71
जनवरी-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.79	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	79.63	1	0.71
फरवरी-20	0.00	-0.02	-0.02	0.01	0.17	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	79.81	1	0.71
मार्च-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	79.90	1	0.72
अप्रैल-20 से दिसम्बर-20											79.90	9	6.44
उप-योग (ब)	19.47	232.16	251.64	21.68	223.67	245.35	14.52	156.10	170.62	74.73			29.27
महा योग (अ+ब)	62.69	232.16	294.85	61.61	223.67	285.28	49.28	156.10	205.38	79.90			29.97

परिशिष्ट-2.17
(प्रस्तर 2.7 में संदर्भित)
डीवीवीएनएल द्वारा टीपीएल से टीआईआर प्रक्रिया के माध्यम से वसूल किये गए आरएससी को दर्शाने वाला विवरण

माह	कुल बिल किये गए यूनिट (ऑकड़े करोड़ में)	आरएससी सहित कुल बिल की गयी धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आरएससी (₹ करोड़ में)	आरएससी के बिना कुल बिल की गयी धनराशि (₹ करोड़ में)	औसत टैरिफ दर (एटीआर) ₹ में	टीआईआर (एटीआर/ आधार वर्ष का एटीआर)	आगत दर ₹ में	सूचकांक दर ₹ में	टीआईआर देयता की दर ₹ में	आगत ऊर्जा (ऑकड़े करोड़ में)	बिल में प्रसारित होने वाले आरएससी के बिना टीआईआर देयता (₹ करोड़ में)	बिल में पृथक रूप से प्रसारित होने वाले अलग से कुल टीआईआर देयता एवं आरएससी (₹ करोड़ में)	आरएससी को शामिल करते हुये टीआईआर देयता (जैसा कि डीवीवीएनएल द्वारा बिल में प्रसारित किया गया) (₹ करोड़ में)	टीपीएल द्वारा बिल किए गए आरएससी के सापेक्ष टीआईआर साझाकरण प्रक्रिया से माध्यम से डीवीवीएनएल द्वारा प्रसारित किये गए आरएससी (₹ करोड़ में)	टीपीएल से टीआईआर साझाकरण प्रक्रिया के माध्यम से डीवीवीएनएल द्वारा प्रसारित किये गए आरएससी (₹ करोड़ में)
क	ख	ग	घ	च	छ=घ/ख	ज=छ/4.58	झ	ट=ज*झ	ठ=ट*झ	ड	ढ=ड*ठ	त=ढ+घ	थ	द=त-थ	ध=घ-द
अक्टूबर-14	11.76	72.16	0.54	71.62	6.09	1.33	2.26	3.01	0.75	17.54	13.07	13.61	13.51	0.10	0.44
नवम्बर-14	9.43	63.22	1.40	61.82	6.56	1.43	2.26	3.23	0.97	13.97	13.62	15.02	14.67	0.35	1.05
दिसम्बर-14	8.31	57.61	1.35	56.26	6.77	1.48	2.26	3.34	1.08	15.11	16.33	17.68	17.52	0.15	1.20
जनवरी-15	8.96	61.00	1.40	59.60	6.65	1.45	2.26	3.28	1.02	16.75	17.13	18.53	18.43	0.10	1.30
फरवरी-15	8.69	59.22	1.39	57.83	6.65	1.45	2.26	3.28	1.02	12.96	13.27	14.66	14.52	0.14	1.25
मार्च-15	8.82	60.60	1.41	59.19	6.71	1.47	2.26	3.31	1.05	14.37	15.11	16.52	16.24	0.28	1.13
अप्रैल-15	10.81	71.13	1.65	69.48	6.43	1.40	2.36	3.31	0.95	17.52	16.68	18.33	18.04	0.28	1.37
मई-15	14.04	90.00	3.61	86.39	6.15	1.34	2.36	3.17	0.81	22.35	18.11	21.72	21.01	0.72	2.89
जून-15	15.84	101.11	4.28	96.83	6.11	1.33	2.36	3.15	0.79	22.66	17.90	22.18	21.08	1.11	3.17
जुलाई-15	16.12	111.51	6.01	105.50	6.54	1.43	2.36	3.37	1.01	22.50	22.77	28.78	27.00	1.79	4.22
अगस्त-15	15.27	109.67	6.44	103.23	6.76	1.48	2.36	3.48	1.12	22.06	24.79	31.23	29.56	1.66	4.78
सितम्बर-15	14.92	104.02	6.09	97.93	6.56	1.43	2.36	3.38	1.02	20.29	20.74	26.83	24.95	1.87	4.22
अक्टूबर-15	13.62	98.14	5.80	92.34	6.78	1.48	2.36	3.49	1.13	18.44	20.90	26.70	24.89	1.81	3.99

माह	कुल बिल किये गए यूनिट (आंकड़े करोड़ में)	आरएससी सहित कुल बिल की गयी धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आरएससी (₹ करोड़ में)	आरएससी के बिना कुल बिल की गयी धनराशि (₹ करोड़ में)	औसत टैरिफ दर (एटीआर) ₹ में	टीआईआर (एटीआर/ आधार वर्ष का एटीआर)	आगत दर ₹ में	सूचकांक दर ₹ में	टीआईआर देयता की दर ₹ में	आगत ऊर्जा (आंकड़े करोड़ में)	बिल में प्रसारित होने वाले आरएससी के बिना टीआईआर देयता (₹ करोड़ में)	बिल में पृथक रूप से प्रसारित होने वाले अलग से कुल टीआईआर देयता एवं आरएससी (₹ करोड़ में)	आरएससी को शामिल करते हुये टीआईआर देयता (जैसा कि डीवीवीएनएल द्वारा बिल में प्रसारित किया गया) (₹ करोड़ में)	टीपीएल द्वारा बिल किए गए आरएससी के सापेक्ष टीआईआर साझाकरण प्रक्रिया के माध्यम से डीवीवीएनएल द्वारा प्रसारित किये गए आरएससी (₹ करोड़ में)	टीपीएल से टीआईआर साझाकरण प्रक्रिया के माध्यम से डीवीवीएनएल द्वारा प्रसारित किये गए आरएससी (₹ करोड़ में)
क	ख	ग	घ	च	छ=घ/ख	ज=छ/4.58	झ	ट=ज*झ	ठ=ट*झ	ड	ढ=ड*ठ	त=ढ+घ	थ	द=त*थ	ध=घ-द
नवम्बर-15	10.69	80.02	4.80	75.22	7.04	1.54	2.36	3.63	1.27	13.58	17.19	21.99	20.37	1.62	3.18
दिसम्बर-15	8.91	69.52	4.19	65.33	7.33	1.60	2.36	3.78	1.42	13.72	19.45	23.64	22.77	0.87	3.32
जनवरी-16	8.89	69.82	4.20	65.62	7.38	1.61	2.36	3.80	1.44	13.98	20.17	24.37	23.62	0.75	3.45
फरवरी-16	8.84	69.55	4.18	65.37	7.39	1.61	2.36	3.81	1.45	12.29	17.82	22.00	20.77	1.24	2.94
मार्च-16	10.26	77.70	4.68	73.02	7.12	1.55	2.36	3.67	1.31	15.02	19.63	24.31	23.13	1.18	3.50
अप्रैल-16	12.78	91.24	4.49	86.75	6.79	1.48	2.37	3.51	1.14	19.38	22.15	26.64	25.78	0.86	3.63
मई-16	15.78	109.10	4.28	104.82	6.64	1.45	2.37	3.44	1.07	21.98	23.46	27.74	26.59	1.14	3.14
जून-16	17.17	118.23	4.82	113.41	6.61	1.44	2.37	3.42	1.05	23.44	24.56	29.38	27.89	1.49	3.33
जुलाई-16	17.02	117.34	4.79	112.55	6.61	1.44	2.37	3.42	1.05	21.58	22.69	27.48	25.89	1.59	3.20
अगस्त-16	15.31	108.01	4.40	103.61	6.77	1.48	2.37	3.50	1.13	20.81	23.55	27.95	26.63	1.32	3.08
सितम्बर-16	16.04	115.33	4.72	110.61	6.90	1.51	2.37	3.57	1.20	20.61	24.70	29.42	27.82	1.60	3.12
अक्टूबर-16	15.00	109.31	4.47	104.84	6.99	1.53	2.37	3.62	1.25	18.54	23.11	27.58	25.95	1.63	2.84
नवम्बर-16	10.96	84.63	3.46	81.17	7.41	1.62	2.37	3.83	1.46	12.10	17.70	21.16	19.61	1.55	1.91
दिसम्बर-16	8.26	67.27	2.75	64.52	7.81	1.71	2.37	4.04	1.67	12.62	21.10	23.85	23.22	0.63	2.12
जनवरी-17	8.88	70.93	2.90	68.03	7.66	1.67	2.37	3.96	1.59	13.27	21.16	24.06	23.96	0.10	2.80
फरवरी-17	8.59	69.61	2.84	66.77	7.77	1.70	2.37	4.02	1.65	11.49	18.99	21.83	20.91	0.91	1.93
मार्च-17	10.12	78.80	3.22	75.58	7.47	1.63	2.37	3.86	1.49	14.49	21.65	24.87	24.05	0.82	2.40

माह	कुल बिल किये गए यूनिट (आंकड़े करोड़ में)	आरएससी सहित कुल बिल की गयी धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आरएससी (₹ करोड़ में)	आरएससी के बिना कुल बिल की गयी धनराशि (₹ करोड़ में)	औसत टैरिफ दर (एटीआर) ₹ में	टीआईआर (एटीआर/ आधार वर्ष का एटीआर)	आगत दर ₹ में	सूचकांक दर ₹ में	टीआईआर देयता की दर ₹ में	आगत ऊर्जा (आंकड़े करोड़ में)	बिल में प्रसारित होने वाले आरएससी के बिना टीआईआर देयता (₹ करोड़ में)	बिल में पृथक रूप से प्रसारित होने वाले अलग से कुल टीआईआर देयता एवं आरएससी (₹ करोड़ में)	आरएससी को शामिल करते हुये टीआईआर देयता (जैसा कि डीवीवीएनएल द्वारा बिल में प्रसारित किया गया) (₹ करोड़ में)	टीपीएल द्वारा बिल किए गए आरएससी के सापेक्ष टीआईआर साझाकरण प्रक्रिया के माध्यम से डीवीवीएनएल द्वारा प्रसारित किये गए आरएससी (₹ करोड़ में)	टीपीएल से टीआईआर साझाकरण प्रक्रिया के माध्यम से डीवीवीएनएल द्वारा प्रसारित किये गए आरएससी (₹ करोड़ में)
क	ख	ग	घ	च	छ=घ/ख	ज=छ/4.58	झ	ट=ज*झ	ठ=ट*झ	ड	ढ=ड*ठ	त=ढ+घ	थ	द=त-थ	ध=घ-द
अप्रैल-17	13.69	100.05	4.09	95.96	7.01	1.53	2.4	3.67	1.27	19.64	25.01	29.10	28.09	1.01	3.08
मई-17	17.33	124.23	5.09	119.14	6.87	1.50	2.4	3.60	1.20	23.14	27.82	32.91	31.47	1.45	3.64
जून-17	17.77	126.63	5.20	121.43	6.83	1.49	2.4	3.58	1.18	23.36	27.59	32.79	31.07	1.71	3.49
जुलाई-17	18.78	133.37	5.47	127.90	6.81	1.49	2.4	3.57	1.17	22.81	26.66	32.13	30.11	2.02	3.45
अगस्त-17	18.16	128.27	5.26	123.01	6.77	1.48	2.4	3.55	1.15	21.76	25.01	30.27	28.29	1.99	3.27
सितम्बर-17	16.87	120.33	4.94	115.39	6.84	1.49	2.4	3.58	1.18	21.06	24.94	29.88	28.22	1.66	3.28
अक्टूबर-17	16.25	116.70	4.79	111.91	6.89	1.50	2.4	3.61	1.21	18.28	22.09	26.88	24.86	2.03	2.76
नवम्बर-17	11.49	87.27	3.58	83.69	7.28	1.59	2.4	3.82	1.42	12.48	17.68	21.26	19.71	1.54	2.04
दिसम्बर-17	9.41	77.50	3.17	74.33	7.90	1.72	2.4	4.14	1.74	12.20	21.23	24.40	23.43	0.96	2.21
जनवरी-18	9.66	83.51	3.41	80.10	8.29	1.81	2.4	4.35	1.95	12.62	24.56	27.97	26.89	1.08	2.33
फरवरी-18	9.02	77.98	3.19	74.79	8.29	1.81	2.4	4.34	1.94	11.12	21.62	24.81	23.68	1.13	2.06
मार्च-18	10.88	90.28	3.70	86.58	7.96	1.74	2.4	4.17	1.77	14.28	25.28	28.98	27.85	1.13	2.57
अप्रैल-18	13.43	106.50	4.36	102.14	7.61	1.66	2.42	4.02	1.60	17.23	27.54	31.90	30.50	1.41	2.95
मई-18	17.41	133.96	5.49	128.47	7.38	1.61	2.42	3.90	1.48	22.78	33.69	39.18	37.59	1.59	3.90
जून-18	20.32	153.84	6.32	147.52	7.26	1.59	2.42	3.84	1.42	24.59	34.82	41.14	38.85	2.29	4.03
जुलाई-18	20.29	154.31	6.33	147.98	7.29	1.59	2.42	3.85	1.43	22.60	32.40	38.73	36.16	2.57	3.76
अगस्त-18	18.34	140.64	5.77	134.87	7.35	1.61	2.42	3.89	1.47	21.08	30.89	36.66	34.36	2.31	3.46

माह	कुल बिल किये गए यूनिट (आंकड़े करोड़ में)	आरएससी सहित कुल बिल की गयी धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल आरएससी (₹ करोड़ में)	आरएससी के बिना कुल बिल की गयी धनराशि (₹ करोड़ में)	औसत टैरिफ दर (एटीआर) ₹ में	टीआईआर (एटीआर/ आधार वर्ष का एटीआर)	आगत दर ₹ में	सूचकांक दर ₹ में	टीआईआर देयता की दर ₹ में	आगत ऊर्जा (आंकड़े करोड़ में)	बिल में प्रसारित होने वाले आरएससी के बिना टीआईआर देयता (₹ करोड़ में)	बिल में पृथक रूप से प्रसारित होने वाले अलग से कुल टीआईआर देयता एवं आरएससी (₹ करोड़ में)	आरएससी को शामिल करते हुये टीआईआर देयता (जैसा कि डीवीवीएनएल द्वारा बिल में प्रसारित किया गया) (₹ करोड़ में)	टीपीएल द्वारा बिल किए गए आरएससी के सापेक्ष टीआईआर साझाकरण प्रक्रिया के माध्यम से डीवीवीएनएल द्वारा प्रसारित किये गए आरएससी (₹ करोड़ में)	टीपीएल से टीआईआर साझाकरण प्रक्रिया के माध्यम से डीवीवीएनएल द्वारा प्रसारित किये गए आरएससी (₹ करोड़ में)
क	ख	ग	घ	च	छ=घ/ख	ज=छ/4.58	झ	ट=ज*झ	ठ=ट*झ	ड	ढ=ड*ठ	त=ढ+घ	थ	द=त*थ	ध=घ-द
सितम्बर-18	16.31	126.81	5.20	121.61	7.46	1.63	2.42	3.94	1.52	18.17	27.61	32.81	30.70	2.11	3.09
अक्टूबर-18	15.29	119.77	4.92	114.85	7.51	1.64	2.42	3.97	1.55	16.86	26.12	31.04	29.00	2.04	2.88
नवम्बर-18	11.35	94.37	3.87	90.50	7.97	1.74	2.42	4.21	1.79	11.54	20.70	24.57	22.74	1.83	2.04
दिसम्बर-18	9.61	83.27	3.41	79.86	8.31	1.81	2.42	4.39	1.97	11.73	23.12	26.53	25.34	1.19	2.22
जनवरी-19	9.62	83.56	3.42	80.14	8.33	1.82	2.42	4.40	1.98	12.16	24.10	27.52	26.38	1.13	2.29
फरवरी-19	9.14	79.46	3.25	76.21	8.34	1.82	2.42	4.41	1.99	10.63	21.12	24.37	23.08	1.29	1.96
मार्च-19	9.56	81.31	3.33	77.98	8.16	1.78	2.42	4.31	1.89	12.32	23.29	26.62	25.51	1.11	2.22
अप्रैल-19	13.64	108.13	4.43	103.70	7.60	1.66	2.43	4.03	1.60	18.60	29.83	34.26	32.92	1.34	3.09
मई-19	18.41	140.83	5.77	135.06	7.34	1.60	2.43	3.89	1.46	23.31	34.08	39.85	37.99	1.86	3.91
जून -19	21.52	161.58	6.64	154.94	7.20	1.57	2.43	3.82	1.39	24.69	34.32	40.96	38.27	2.69	3.95
जुलाई-19	20.45	154.97	6.37	148.60	7.27	1.59	2.43	3.86	1.43	23.61	33.65	40.02	37.54	2.48	3.89
अगस्त-19	19.80	150.36	6.18	144.18	7.28	1.59	2.43	3.86	1.43	21.35	30.60	36.78	34.15	2.63	3.55
सितम्बर-19	18.37	141.85	3.92	137.93	7.51	1.64	2.43	3.98	1.55	20.10	31.23	35.15	33.56	1.58	2.34
अक्टूबर-19	14.85	121.25	0.20	121.05	8.15	1.78	2.43	4.32	1.89	15.86	30.06	30.26	30.14	0.12	0.08
योग	827.11	6168.69	251.63	5917.06						1077.36	1428.16	1679.79	1598.84	80.95	170.68

परिशिष्ट-2.18
(प्रस्तर 2.8 में संदर्भित)

डीटी के मूल्य विचलन दावों की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण आपूर्तिकर्ताओं को किये गए अधिक भुगतान को दर्शाता हुआ विवरण

(₹ धनराशि में)

क्र.सं.	आपूर्ति निर्देश संख्या/दिनांक	मूल्य विचलन का दावा संख्या/दिनांक	मात्रा	कम्पनी द्वारा अनुमत अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्य	प्रति डीटी अनुमत होने वाले अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्य	प्रति डीटी की मूल्य विचलन के दावों का अन्तर	डीटी की मूल्य विचलन के दावों का कुल अन्तर
(1) मैसर्स सुमन इलेक्ट्रिकल्स, मेरठ (निविदा संख्या 2092/2017 एवं पीओ संख्या 16699 (ए) / 31.10.17, 25 केवीए की 2,000 परिवर्तक, आधार तिथि 01.05.2017 के साथ 44,700 की दर से)							
1	13664/28.09.17	16823/02.11.17	60	44941	45493	-552	-33120
2	14751/26.10.17	16824/02.11.17	190	46194	46285	-91	-17290
3	14751/26.10.17	16824/02.11.17	10	46194	46285	-91	-910
4	15029/31.10.17	16825/02.11.17	100	46194	46285	-91	-9100
5	16043/21.11.17	20944/28.11.17	140	46503	46670	-167	-23380
6	16043/21.11.17	20944/28.11.17	49	46503	46614	-111	-5439
7	16677/04.12.17	21992/16.12.17	130	46503	46614	-111	-14430
8	18137/29.12.17	37/02.01.18	71	46663	45493	1170	83070
9	18137/29.12.17	37/02.01.18	69	46663	45493	1170	80730
10	2144/09.02.18	--	181	47839	45493	2346	424626
11	2144/09.02.18	--	1	47839	45493	2346	2346
12	4302/22.03.18	--	149	48372	47839	533	79417
13	5707/23.04.18	5290/01.05.18	200	48463	48373	90	18000
14	6723/23.05.18	6954/28.05.18	50	49854	48373	1481	74050
15	6723/23.05.18	6954/28.05.18	100	49854	48463	1391	139100
16	7099/30.05.18	7360/02.06.18	100	49854	48463	1391	139100
17	8728/29.06.18	8777/30.06.18	50	50757	48463	2294	114700
18	8728/29.06.18	8777/30.06.18	150	50757	48463	2294	344100
19	9302/12.07.18	10614/07.08.18	100	50757	48463	2294	229400
		योग	1900				1624970
(2) मैसर्स लक्ष्मी ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, आगरा (निविदा संख्या 2092/2017 एवं पीओ संख्या 12032 (ए) / 7.09.17, 25 केवीए की 2,000 परिवर्तक, आधार तिथि 01.05.2017 के साथ 44,500 की दर से)							
20	16649/27.11.17	21996/16.12.17	200	45987	46078	-91	-18200
21	17714/22.12.17	25078/23.12.17	200	46292	46387	-95	-19000
22	1024/19.01.18	--	200	46292	46387	-95	-19000
23	5849/25.04.18	5289/01.05.18	100	48246	47625	621	62100
24	5537/-5.05.18	6624/22.05.18	100	48246	47625	621	62100
25	5537/-5.05.18	6624/22.05.18	200	48246	48156	90	18000
26	6973/28.05.18	7052/29.05.18	100	49631	48156	1475	147500
27	7385/04.06.18	7408/04.06.18	100	49631	48156	1475	147500
28	8156/19.06.18	8314/21.06.18	200	49631	48246	1385	277000
29	8692/28.06.18	--	200	50530	48246	2284	456800
		योग	1600				1114800
(3) मैसर्स सैमटेक इंडस्ट्रीज, उन्नाव (निविदा संख्या 2092/2017 एवं पीओ संख्या 12790 (ए) /19.09.17, 25 केवीए की 2,000 परिवर्तक, आधार तिथि 01.05.2017 के साथ 44,500 की दर से)							
30	16456/28.11.17	--	120	46462	46405	57	6840
31	17961/26.12.17		44	46405	46387	18	792
32	26/01.01.18		56	46405	46387	18	1008
33	26/01.01.18		16	46405	46387	18	288
34	4482/26.03.18		16	46405	46387	18	288
35	5291/01.05.18	5382/02.05.18	4	48246	46387	1859	7436
36	5291/01.05.18	5382/02.05.18	80	48246	46387	1859	148720
37	6718/23.05.18	6732/23.05.18	120	49631	46387	3244	389280

क्र.सं.	आपूर्ति निर्देश संख्या / दिनांक	मूल्य विचलन का दावा संख्या / दिनांक	मात्रा	कम्पनी द्वारा अनुमत अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्य	प्रति डीटी अनुमत होने वाले अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्य	प्रति डीटी की मूल्य विचलन के दावों का अन्तर	डीटी की मूल्य विचलन के दावों का कुल अन्तर
38	6718/23.05.18	6732/23.05.18	114	49631	47625	2006	228684
39	6980/28.05.18	7051/29.05.18	66	49631	47625	2006	132396
40	6980/28.05.18	7051/29.05.18	42	49631	47625	2006	84252
41	8204/19.06.18	8313/21.06.18	78	50530	47625	2905	226590
42	8204/19.06.18	8313/21.06.18	12	50530	48156	2374	28488
43	8556/27.06.18	8631/27.06.18	268	50530	48156	2374	636232
44	8556/27.06.18	8631/27.06.18	2	50530	48156	2374	4748
45	9857/24.07.18	9972/25.07.18	18	50584	48156	2428	43704
46	9857/24.07.18	9972/25.07.18	108	50584	48246	2338	252504
47	10601/07.08.18	10768/09.08.18	156	50584	48246	2338	364728
48	11523/28.08.18	11727/01.09.18	36	50509	48246	2263	81468
		योग	1356				2638446
(4) मैसर्स स्वास्तिक कॉपर लिमिटेड, जयपुर (निविदा संख्या 2092 / 2017 एवं पीओ संख्या 11678 (ए) / 31.08.2017, 25 केवीए की 2,000 परिवर्तक, आधार तिथि 01.05.2017 के साथ 44,500 की दर से)							
49	17659/20.12.17	25048/22.12.17	100	44737	45289	-552	-55200
50	2258/12.02.18	1984/15.02.18	100	44737	45289	-552	-55200
51	2258/12.02.18	1984/15.02.18	100	45984	46078	-94	-9400
52	4009/16.03.18	3766/23.03.18	100	45984	46078	-94	-9400
53	5009/09.04.18	4643/13.04.18	100	46462	46461	1	100
54	5560/05.05.18	7826/12.06.18	300	48246	46461	1785	535500
55	6257/16.05.18	7825/12.06.18	165	48246	46405	1841	303765
56	9861/24.07.18	10324/02.08.18	100	48246	46405	1841	184100
57	10669/08.08.18	10855/10.08.18	100	48246	46405	1841	184100
		योग	1165				1078365
(5) मैसर्स न्युकॉन स्विचगियर्स, (पी) लिमिटेड, लुधियाना (निविदा संख्या 1945 / 2016 एवं पीओ संख्या 4021 (ए) / 31.03.2017, 10 एमवीए की 16 परिवर्तक, आधार तिथि 01.06.2016 के साथ 40,18,235 की दर से)							
58	8351/27.06.17	12827/19.09.17	3	4204707	4180602	24105	72315
59	8351/27.06.17	12827/19.09.17	1	4204707	4180602	24105	24105
60	12995/21.09.17	19050/09.11.17	2	4323499	4205941	117558	235116
61	12995/21.09.17	19050/09.11.17	1	4323499	4180602	142897	142897
62	721/19.01.18	2545/24.02.18	2	4533832	4180602	353230	706460
63	721/19.01.18	2545/24.02.18	3	4533832	4221937	311895	935685
64	6434/19.05.18	12776/13.09.19	2	4509872	4298953	210919	421838
65	15632/15.11.18	12777/13.09.19	2	4509872	4298953	210919	421838
		योग	16				2960254
(6) मैसर्स राजस्थान ट्रांसफार्मर एण्ड स्विचगियर्स (निविदा संख्या 1945 / 2016 एवं पीओ संख्या 16322 (ए) / 23.11.2016, 10 एमवीए की 15 परिवर्तक, आधार तिथि 01.06.2016 के साथ 39,87,734 की दर से)							
66	16798/02.11.17	22057/18.12.17	2	4172791	4170911	1880	3760
67	21075/30.11.17	24042/21.12.17	2	4214110	4198663	15447	30894
68	58/03.01.18	181/06.01.18	1	4289314	4198663	90651	90651
69	58/03.01.18	181/06.01.18	1	4289314	4251455	37859	37859
70	1655/07.02.18	1881/12.02.18	1	4289314	4251455	37859	37859
71	1655/07.02.18	1881/12.02.18	1	4421063	4251455	169608	169608
72	3171/12.03.18	3757/23.03.18	2	4421975	4251455	170520	341040
73	4974/23.04.18	6625/22.05.18	1	4421975	4314224	107751	107751
74	4974/23.04.18	6625/22.05.18	1	4499417	4314224	185193	185193
75	6757/24.05.18	7813/11.06.18	1	4499417	4314224	185193	185193
76	9874/24.07.18	10699/08.08.18	2	4499417	4314224	185193	370386
		योग	15				1560194

क्र.सं.	आपूर्ति निर्देश संख्या / दिनांक	मूल्य विचलन का दावा संख्या / दिनांक	मात्रा	कम्पनी द्वारा अनुमत अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्य	प्रति डीटी अनुमत होने वाले अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्य	प्रति डीटी की मूल्य विचलन के दावों का अन्तर	डीटी की मूल्य विचलन के दावों का कुल अन्तर
(7) मैसर्स मारसन्स इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (निविदा संख्या 1945/2016 एवं पीओ संख्या 13035 (ए) / 16.09.2016, 10 एमवीए की 15 परिवर्तक, आधार तिथि 01.06.2016 के साथ 38,94,473 की दर से)							
77	16599/26.11.16	16979/05.12.16	4	3870843	3869961	882	3528
78	17861/22.12.16	07/02.01.17	4	4030642	4031142	-500	-2000
79	2194/15.02.17	2808/02.03.17	4	4091406	4100469	-9063	-36252
80	3801/27.03.17	4027/31.03.17	3	4151362	4152026	-664	-1992
81	3989/15.04.19	4320/25.04.19	1	4769381	4747234	22147	22147
82	3997/15.04.19	4321/25.04.19	1	4769381	4747234	22147	22147
		योग	17				7578
(8) मैसर्स मॉर्डन ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड (निविदा संख्या 1945/2016 एवं पीओ संख्या 14496 (ए) / 14.10.16, 10 एमवीए की 15 परिवर्तक, आधार तिथि 01.06.2016 के साथ 40,58,020 की दर से)							
83	14334/07.10.16	15852/09.11.16	1	4033398	4032478	920	920
84	185/04.01.17	1220/22.01.17	1	4010751	4011226	-475	-475
85	3585/22.03.17	4053/31.03.17	1	4325697	4011226	314471	314471
86	5602/09.05.17	6534/27.05.17	1	4330083	4200428	129655	129655
87	7389/13.06.17	7558/16.06.17	1	4246338	4200428	45910	45910
88	9629/19.07.17	10391/04.08.17	1	4246338	4200428	45910	45910
89	12084/08.09.17	12720/18.09.17	1	4274140	4200428	73712	73712
90	15005/13.10.17	16764/01.11.17	1	4274140	4200428	73712	73712
91	20028/11.11.17	20891/27.11.17	1	4246338	4272667	-26329	-26329
92	1225/30.01.18	1477/02.02.18	2	4244718	4272667	-27949	-55898
93	3500/19.03.18	3829/24.03.18	1	4286391	4272667	13724	13724
94	5533/05.05.18	6094/14.05.18	1	4286391	4326389	-39998	-39998
95	6982/28.05.18	7171/31.05.18	1	4286391	4326389	-39998	-39998
		योग	14				535316
(9) मैसर्स स्वास्तिक कॉपर लिमिटेड, जयपुर (निविदा संख्या 1945/2016 एवं पीओ संख्या 447 (ए) / 10.01.17, 10 एमवीए की 15 परिवर्तक, आधार तिथि 01.06.2016 के साथ 40,09,521 की दर से)							
96	7966/20.06.17	10388/04.08.17	2	4223058	4219116	3942	7884
97	10514/08.08.17	12080/08.09.17	1	4237134	4235162	1972	1972
98	10514/08.08.17	12080/08.09.17	1	4223058	4219116	3942	3942
		योग	4				13798
(10) मैसर्स कोटसन्स (निविदा संख्या 1946/2016 एवं पीओ संख्या 3713 (ए) / 24.03.16, 16 केवीए की 149 परिवर्तक, आधार तिथि 01.06.2016 के साथ 38,000 की दर से)							
99	9670/19.07.17	10602/09.08.17	50	39102	37567	1535	76750
100	9670/19.07.17	10602/09.08.17	99	39102	37635	1467	145233
		योग	149				221983
(11) मैसर्स पी.पी. इंडस्ट्रीज, पंजाब (निविदा संख्या 1947/2016 एवं पीओ संख्या 10913 (ए) / 11.08.16, 25 केवीए की 2286 एवं 2500 परिवर्तक, आधार तिथि 01.01.2016 के साथ 44,498 की दर से)							
101	20431/18.11.17	20858/27.11.17	100	47532	46074	1458	145800
102	20431/18.11.17	20858/27.11.17	200	47532	45962	1570	314000
103	20431/18.11.17	20858/27.11.17	50	47857	45962	1895	94750
104	20431/18.11.17	20858/27.11.17	50	47857	46116	1741	87050
105	21250/05.12.17	22058/18.12.17	200	47857	46116	1741	348200
106	21250/05.12.17	22058/18.12.17	200	47857	45876	1981	396200
107	87/03.01.18	178/06.01.18	50	48053	45876	2177	108850
108	87/03.01.18	178/06.01.18	250	48053	46113	1940	485000
109	87/03.01.18	178/06.01.18	150	48053	47871	182	27300
110	87/03.01.18	178/06.01.18	250	48053	47947	106	26500
111	87/03.01.18	178/06.01.18	186	48053	47947	106	19716
		योग	1686				2053366

क्र.सं.	आपूर्ति निर्देश संख्या / दिनांक	मूल्य विचलन का दावा संख्या / दिनांक	मात्रा	कम्पनी द्वारा अनुमत अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्य	प्रति डीटी अनुमत होने वाले अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्य	प्रति डीटी की मूल्य विचलन के दावों का अन्तर	डीटी की मूल्य विचलन के दावों का कुल अन्तर
(12) मैसर्स टेकनिकल एशोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ (निविदा संख्या 1947 / 2016 एवं पीओ संख्या 10917 (ए) / 11.08.16, 25 केवीए की 5,234 परिवर्तक आधार तिथि 01.06.2016 के साथ 50,642 की दर से)							
112	7388/13.06.17	8770/04.07.17	100	52436	52308	128	12800
113	7388/13.06.17	8770/04.07.17	100	52436	52210	226	22600
114	8610/30.06.17	8802/05.07.17	150	52308	52210	98	14700
115	8610/30.06.17	8802/05.07.17	100	52308	52210	98	9800
116	9628/19.07.17	10198/01.08.17	200	52483	52480	3	600
117	9628/19.07.17	10198/01.08.17	100	52483	52210	273	27300
118	11536/28.08.17	11790/04.09.17	210	52483	52210	273	57330
119	693/19.01.18	2373/21.02.18	40	54480	52210	2270	90800
120	693/19.01.18	2373/21.02.18	100	54480	52480	2000	200000
121	693/19.01.18	2373/21.02.18	210	54480	52480	2000	420000
122	1943/13.02.18	2374/21.02.18	40	54480	52480	2000	80000
123	1943/13.02.18	2374/21.02.18	100	54480	54465	15	1500
124	4822/18.04.18	6353/18.05.18	90	56161	54687	1474	132660
125	4822/18.04.18	6353/18.05.18	60	56161	54480	1681	100860
126	5571/05.05.18	8006/14.06.18	300	56161	54480	1681	504300
127	6435/19.05.18	8007/14.06.18	300	56779	54480	2299	689700
128	7357/02.06.18	8008/14.06.18	40	56779	54480	2299	91960
129	7357/02.06.18	8008/14.06.18	360	56779	56161	618	222480
130	7357/02.06.18	8008/14.06.18	200	56963	56161	802	160400
131	8402/23.06.18	8774/30.06.18	140	56963	56161	802	112280
132	8402/23.06.18	8774/30.06.18	210	56963	56852	111	23310
133	10099/28.07.18	14018/04.10.18	140	54182	56852	-2670	-373800
134	10099/28.07.18	14018/04.10.18	160	54647	56852	-2205	-352800
135	10099/28.07.18	14018/04.10.18	190	56161	56852	-691	-131290
136	10099/28.07.18	14018/04.10.18	10	56161	56963	-802	-8020
137	16518/04.12.18	17022/15.12.18	190	54647	56963	-2316	-440040
138	16518/04.12.18	17022/15.12.18	300	54567	56963	-2396	-718800
139	16518/04.12.18	17022/15.12.18	50	56161	56963	-802	-40100
		योग	4190				910530
(13) मैसर्स मारसन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (निविदा संख्या 1948 / 2016 एवं पीओ संख्या 10918 (ए) / 11.08.16, 63 केवीए की 1,010 परिवर्तक, आधार तिथि 01.06.2016 के साथ 77,000 की दर से)							
140	16367/23.11.16	17647/20.12.16	100	76963	76815	148	14800
141	16800/02.11.17	18083/09.11.17	100	80521	79952	569	56900
142	13848/10.10.17	18082/09.11.17	100	80521	79952	569	56900
143	16799/02.11.17	18081/09.11.17	100	80521	80453	68	6800
144	16799/02.11.17	18081/09.11.17	100	82998	80453	2545	254500
145	21259/05.12.17	24041/21.12.17	150	82998	80462	2536	380400
146	21259/05.12.17	24041/21.12.17	50	82998	80212	2786	139300
147	8338/22.06.18	8654/28.06.18	100	83846	80212	3634	363400
148	13418/19.09.18	13662/26.09.18	210	83846	80212	3634	763140
		योग	1010				2036140
(14) मैसर्स ट्रांसकॉन इंडस्ट्रीज (निविदा संख्या 1949 / 2016 एवं पीओ संख्या 10922 (ए) / 11.08.16, 100 केवीए की 950 परिवर्तक, आधार तिथि 01.06.2016 के साथ 1,02,355 की दर से)							
149	17119/08.12.16	18171/29.12.16	100	101169	101019	150	15000
150	17119/08.12.16	18171/29.12.16	20	101169	101019	150	3000
151	1152/21.01.17	1349/27.01.17	100	101019	101364	-345	-34500
152	3872/28.03.17	4308/07.04.17	200	104748	102447	2301	460200
153	6885/03.06.17	7549/16.06.17	150	105301	104748	553	82950
		योग	570				526650

क्र.सं.	आपूर्ति निर्देश संख्या / दिनांक	मूल्य विचलन का दावा संख्या / दिनांक	मात्रा	कम्पनी द्वारा अनुमत अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्य	प्रति डीटी अनुमत होने वाले अद्यतन एक्स-वर्क्स मूल्य	प्रति डीटी की मूल्य विचलन के दावों का अन्तर	डीटी की मूल्य विचलन के दावों का कुल अन्तर
(15) मैसर्स मारसन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (निविदा संख्या 1949/2016 एवं पीओ संख्या 10919 (ए) / 11.08.16, 100 केवीए की 800 परिवर्तक, आधार तिथि 01.06.2016 के साथ 1,00,200 की दर से)							
154	16632/28.11.16	17648/20.12.16	100	99249	98911	338	33800
155	1243/23.01.17	1750/06.02.17	100	99464	99240	224	22400
156	25243/27.12.17	77/03.01.18	100	103838	99249	4589	458900
157	25243/27.12.17	77/03.01.18	100	103838	98911	4927	492700
158	25243/27.12.17	77/03.01.18	100	107032	103104	3928	392800
159	7186/31.05.18	7477/05.06.18	100	107204	103762	3442	344200
160	13991/04.10.18	14349/11.10.18	200	108125	103762	4363	872600
		योग	800				2617400
(16) मैसर्स पीपी इंडस्ट्रीज, पंजाब (निविदा संख्या 1949/2016 एवं पीओ संख्या 10914 (ए) / 11.08.16, 100 केवीए की 466 परिवर्तक, आधार तिथि 01.06.2016 के साथ 1,09,005 की दर से)							
161	1046/25.01.18	1625/06.02.18	200	117267	117454	-187	-37400
		योग	200				-37400
(17) मैसर्स माँ केला ट्रांसफार्मर (पी) लिमिटेड, मेनपुनरी (निविदा संख्या 2197/2018 एवं पीओ संख्या 11952 (ए) / 07.09.18, 25 केवीए की 1500 परिवर्तक, आधार तिथि 01.03.2018 के साथ 44,572 की दर से)							
162	9878/24.07.18	12032/10.09.18	100	46714	46645	69	6900
163	11208/21.08.18	12033/10.09.18	100	46645	46551	94	9400
164	16128/27.11.18	16360/30.11.18	150	48099	47255	844	126600
165	3293/29.03.19	4824/07.05.19	100	46282	45857	425	42500
166	5607/27.05.19	6176/11.06.19	100	45857	45344	513	51300
167	5607/27.05.19	6176/11.06.19	100	45857	45117	740	74000
168	9906/28.06.19	12357/02.09.19	100	45344	44811	533	53300
		योग	750				364000
(18) मैसर्स महेन्द्र ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड, गाज़ियाबाद (निविदा संख्या 2197/2018 एवं पीओ संख्या 6022 / 11.05.18, 25 केवीए की 300 परिवर्तक, आधार तिथि 01.03.2018 के साथ 44,772 की दर से)							
169	12027/10.09.18	17351/21.12.18	150	46854	46760	94	14100
170	12027/10.09.18	17351/21.12.18	50	46854	46760	94	4700
171	15623/15.11.18	17352/21.12.18	100	48315	46924	1391	139100
		योग	300				157900
		कुल योग	15742				20384290

परिशिष्ट-3.1
(प्रस्तर 3.1 में संदर्भित)
वृक्षारोपण कार्य के विरुद्ध कपटपूर्ण भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	वन प्रभागों का नाम	माह के लिए वाउचर	वाउचरों की संख्या	धनराशि (₹ में)
1	डीएफओ फैजाबाद	मार्च-2017	157	1109753
2	डीडी एसएफ गाज़ीपुर	मार्च-2017	7	25629
3	डीडी एसएफ सीतापुर	मार्च-2017	115	911954
4	डीडी एसएफ आजमगढ़	मार्च-2017	49	213641
5	एफसी लुप्तप्राय	मार्च-2017	6	18900
6	डीएफओ कानपुर देहात	मार्च-2017	29	302024
7	डीडी एसएफ इटावा	मार्च-2017	53	648500
8	डीडी एसएफ अवध लखनऊ	मार्च-2017	14	240588
9	डीएफओ इलाहाबाद	मार्च-2017	2	37080
10	डीडी डीएनपी पलिया	मार्च-2017	70	617036
11	डीडी एसएफ ललितपुर	मार्च-2017	35	486637
12	डीएफओ हमीरपुर	मार्च-2017	2	31985
13	डीडी एसएफ ललितपुर	जुलाई-2017	17	256825
14	डीएफओ गोंडा	मार्च-2018	4	86068
15	डीडी एसएफ आजमगढ़	मार्च-2018	7	31341
16	डीएफओ गोरखपुर	मार्च-2018	6	50163
17	डीएफओ संतकबीर नगर	मार्च-2018	26	357765
18	डीएफओ कानपुर देहात	मार्च-2018	23	461207
19	डीसीएफ कतर्निया घाट	मार्च-2018	1	47250
20	डीएफओ झांसी	मार्च-2018	147	1934379
21	डीएफओ गोरखपुर	मार्च-2019	36	689711
22	डीडी एसएफ प्रतापगढ़	मार्च-2019	102	2572225
23	डीएफओ गोंडा	मार्च-2019	32	652569
24	डीएफओ उत्तर खीरी लखीमपुर	मार्च-2019	4	163740
25	डीडी एसएफ इलाहाबाद	मार्च-2019	26	147340
26	डीडी एसएफ बस्ती	मार्च-2019	24	462248
27	डीडी डीएनपी पलिया	मार्च-2019	58	1052328
28	डीडी एसएफ आजमगढ़	मार्च-2019	6	78869
योग			1058	13687755

परिशिष्ट-3.2
(प्रस्तर 3.2 में संदर्भित)
स्वीकृत भूमि दरों से अधिक दरों के कारण भूमि के क्रय पर आधिक्य भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	विक्रय विलेखों के निष्पादन की अवधि	विक्रय विलेखों की संख्या	क्रय भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	समिति द्वारा अनुमोदित प्रयोग की जाने वाली सर्किल दरें (₹/हेक्टेयर)	समिति द्वारा यथानिर्णीत भूमि क्रय हेतु लागू होने वाली दरें (4* सर्किल दर) (₹/हेक्टेयर)	समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि का मूल्य (₹)	विक्रय विलेख के अनुसार लागू सर्किल दरें (₹/हेक्टेयर)	विक्रय विलेख के अनुसार भूमि क्रय के लिए अपनायी गयी दरें (4* सर्किल दर) (₹/हेक्टेयर)	भूस्वामियों को भुगतान की गयी धनराशि (₹)	किया गया कुल अतिरिक्त भुगतान (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8=5*7	9	10	11=5*10	12=11-8
1	हूसेपुर	अगस्त 2014 से सितम्बर 2014	6	0.8350	2500000	10000000	8350000	2900000	11600000	9686000	1336000
2	रनुआ	जुलाई 2014 से अक्टूबर 2014	34	7.8154	1100000	4400000	34387760	1700000	6800000	53144720	18756960
3	सिकन्दरपुर	सितम्बर 2014 से अक्टूबर 2014	14	3.2100	1100000	4400000	16002800	1500000	6000000	20797200	4794400
				0.4270				900000	3600000		
4	तालग्राम	अगस्त 2014 से जुलाई 2015	4	0.4963	1900000	7600000	3771880	2900000	11600000	5757080	1985200
5	बस्ता	जुलाई 2014 से अगस्त 2014	12	2.8995	1200000	4800000	13917600	1800000	7200000	20876400	6958800
6	भुन्ना	जुलाई 2014 से अगस्त 2014	6	0.1074	1200000	4800000	515520	1800000	7200000	773280	257760
7	पिपरौली	जुलाई 2014 से अगस्त 2014	12	1.0100	1200000	4800000	4848000	1800000	7200000	7272000	2424000
योग			88	16.8006			81793560			118306680	36513120

परिशिष्ट-3.3

(प्रस्तर 3.2 में संदर्भित)

भूमि क्रय के प्रकरणों जिसके सम्बंध में विक्रय विलेख में सड़क का उल्लेख नहीं था एवं अर्जित भूमि, कृषि भूमि से घिरी हुयी थी को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	गाँवों का नाम	विक्रय विलेखों के निष्पादन की अवधि	विक्रय विलेखों की संख्या	क्रय की गयी भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	समिति द्वारा अनुमोदित प्रयोग की जाने वाली सार्किल दरें (₹/हेक्टेयर)	समिति द्वारा यथानिर्णीत भूमि क्रय हेतु लागू होने वाली दरें (4* सार्किल दर) (₹/हेक्टेयर)	समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि का मूल्य (₹)	विक्रय विलेख अनुसार लागू सार्किल दरें (₹/हेक्टेयर)	विक्रय विलेख के अनुसार भूमि क्रय के लिए प्रयोग की गयी दरें (4* सार्किल दर) (₹/हेक्टेयर)	भूस्वामियों को भुगतान की गयी धनराशि (₹)	किया गया कुल अतिरिक्त भुगतान (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8=5*7	9	10	11=5*10	12=11-8
1	हूसेपुर	अगस्त 2014 से सितम्बर 2014	6	0.8350	2500000	10000000	8350000	2900000	11600000	9686000	1336000
2	रनुआ	अगस्त 2014	5	1.4563	1100000	4400000	6407720	1700000	6800000	9902840	3495120
3	सिकन्दरपुर	सितम्बर 2014 से अक्टूबर 2014	14	3.2100 0.4270	1100000	4400000	16002800	1500000 900000	6000000 3600000	20797200	4794400
4	तालग्राम	अगस्त 2014 से जुलाई 2015	2	0.2351	1900000	7600000	1786760	2900000	11600000	2727160	940400
5	बस्ता	जुलाई 2014 से अगस्त 2014	11	2.2435	1200000	4800000	10768800	1800000	7200000	16153200	5384400
6	भुन्ना	अगस्त 2014	1	0.0119	1200000	4800000	57120	1800000	7200000	85680	28560
7	पिपरोली	जुलाई 2014	1	0.1620	1200000	4800000	777600	1800000	7200000	1166400	388800
योग			40	8.5808			44150800			60518480	16367680

परिशिष्ट-3.4
(प्रस्तर 3.3 में संदर्भित)

अभिलेखों में वास्तविक रूप से उपलब्ध क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के विरुद्ध किये गए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	खसरा संख्या	खसरा रजिस्टर के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरा के विरुद्ध क्रयित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिक क्रय किया गया क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	खसरे के विरुद्ध विक्रय विलेखों (बैनामें) संख्या जिनके माध्यम से क्रय किया गया था
1	2	3	4	5 (4-3)	6
1	309	0.1260	0.1397	0.0137	33;72;75;76;81;124
2	316	0.2150	0.2722	0.0572	28;29;99
3	339	0.0890	0.1218	0.0328	53;54;55;56;88;89;90;101;108;110;116;139
4	342	0.0500	0.0560	0.0060	53;54;55;56;88;89;90;97;101;108;139
5	365	0.3420	0.7942	0.4522	53;54;55;56;88;89;90;97;101;108;116;139
6	367	0.6450	0.8836	0.2386	53;54;55;56;88;89;90;101;110;114;116;139
7	368	1.0490	1.1504	0.1014	53;54;55;56;86;88;89;90;97;101;108;139
8	369	0.4810	0.5387	0.0577	53;54;55;56;88;89;90;97;101;108;139
9	381	0.5690	0.5973	0.0283	1;61;73;82;98;115
10	383	0.5310	0.5510	0.0200	50 और 52
11	387	0.0760	0.1266	0.0506	1;82
12	392	0.1520	0.2533	0.1013	1;82
13	393	0.0250	0.0280	0.0030	24;42;43;82;85
14	394	0.9860	1.19125	0.20525	1;42;43;82
15	418	0.9990	1.1617	0.1627	1;24;51;61;82;85;96
16	419	0.0130	0.0216	0.0086	1;82
17	771	0.0510	0.1020	0.0510	143
योग		6.3990	7.98935	1.59035	